सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

सितम्बर, 2015 वर्ष 14 अंक 07

है करम अल्लाह का

आ गया ज़िल्हिज्ज अशरा, है करम अल्लाह का
हो रहा है हज्जो उमरा, है करम अल्लाह का
सेर हो ज़मज़म पिया है, कअबे का करके तवाफ़
की सई मसआ में जा कर, है करम अल्लाह का
शब गुज़ारी है मिना में और दिन अरफ़ात में
की दुआ मुज़दलफ़ा में जा, है करम अल्लाह का
की रमी जमरात में मनहर में कुर्बानी भी की
सर मुंडा कर पहने कपड़े, है करम अल्लाह का
अब हरम जा कर करेंगे सब ज़ियारत का तवाफ़
हो गये पूरे फ़राइज़, है करम अल्लाह का
11,12 की रमी और, अख़िरी करके तवाफ़
है मदीना हाज़िरी यह, है करम अल्लाह का
मस्जिदे नबवी में होगी अब जमाअत से नमाज़
रौज़े पे होगी सलामी, है करम अल्लाह का
रहमतें लाखों नबी पर और हों लाखों सलाम
पढ़ रहे होंगे वहाँ सब , है करम अल्लाह का

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
हज्जे बैतुल्लाह	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	6
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	9
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौ0 अली मियाँ नदवी रह0	13
एकेश्वर वाद	इदारा	17
आल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	18
मीरास (तर्का) की तक़सीम	इम्तियाज़ अहमद नदवी	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	24
पुरुष का हक़ महिला को	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी	27
प्रकोप अथवा परीक्षा	इदारा	28
योगा व्यायाम	इदारा	30
ज़लज़ला का पैग़ाम	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी	35
बारह साला मुस्लिम बच्ची	इं0 जावेद इक़बाल	36
एक पाठक की चिट्ठी का उत्तर	इदारा	39
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बक़रः

अनुवाद- और डरते रहो उस दिन से जिस दिन लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ़ फ़िर पूरा दिया जाएगा हर शख़्स को जो कुछ उसने कमाया, और उन पर ज़ुल्म न होगा। यानी न अज्र में कमी न सज़ा में ज़ियादती, लिहाज़ा तमाम अहकाम की तुम भी पूरी पूरी पाबन्दी किया करो ताकि उस दिन कहीं ज़िल्लत व रुस्वाई न हो।[(1)(281)]

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. क़ुर्आन मुक़द्दस का यह तरीक़ा है कि वह अवामिर व नवाही (आदेश तथा वर्जन) की बहस में क़ियामत का और ख़ुदा की पेशी में जाने का दोज़ख़ की हौलनाकी (भीषणता) और जन्नत की बशारत (शुभ सूचना) का ज़िक्र करता है, ताकि उन चीज़ों के असर से ताअ़त की रग़बत गुनाहों से नफरत हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 का कथन है कि यह आख़िरी आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई, आयत उतरने के बाद हज़रत ज़िबरील ने बताया कि इसको सू—रए—बक़रा की आयत "व अन तसद्दक़ू ख़ैरुल्लकुम इन कुन्तुम तअ़लमून" के बाद लिखा जाये। मस्अूदी ने कहा कि इस आयत के उतरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 21 दिन जीवित रहे; बाज़ का क़ौल है कि 81 दिन ज़िन्दा रहे वल्लाहु अअ़लम। बाज़ लोग अन्जाने में अपनी तहरीर व तक़रीर में सूर— ए—माइदह की आयत न0 3 अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम को आख़िरी आयत कह देते हैं या लिख देते हैं यह बात सही नहीं है।

❖❖❖

ग़ैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सुलूक

मुमतहिनः 8

अल्लाह तआला तुम को उन ग़ैर मुस्लिम लोगों के साथ एहसान और इन्साफ़ करने से मना नहीं करता जो तुम से दीन के बारे में नहीं लड़े और न उन्होंने तुम को तुम्हारे घरों से निकाला बिलाशुबह अल्लाह तआला इन्साफ़ करने वालों से महब्बत करता है। भलाई, नेकी और हुस्ने सुलूक की इजाज़त दी और इन्साफ़ करने का हुक्म दिया कि ऐसे लोगों के मुआमले में इन्साफ़ करो और ज़ुल्म न करो। मुशरिकीन में सब किस्म के आदमी थे बाज़ दमनकारी कारवाइयां करते थे बाज, लोग उस सख़्त बरताव की मुख़ालफ़त (विरोध) करते थे और अगर उनकी बात न चलती तो वह मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले कामों से दूर रहते थे उनके लिए ख़ुसूसी नेकी और इन्साफ़ का हुक्म दिया वरना आम नेकी और इन्साफ़ का हुक्म तो हर जानदार के लिए है।

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

ईसाले सवाब अर्थात अपने नेक कामों का सवाब दूसरों को पहुँचाना-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मौत के बाद भी इन्सान के तीन अमल जारी रहते हैं, एक नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे, दूसरे वह सदका जिस का नफा उसके बाद भी जारी रहे, तीसरे वह इल्म जिससे उसके बाद भी नफा उठाया जाता रहे। (मुस्लिम)

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला जन्नत के अन्दर नेक बन्दों के दर्जे ऊँचे कर देगा, बन्दा पूछेगा या रब मेरे दर्जे में यह ऊँचाई कैसे हुई, इरशाद होगा कि तेरे बेटे ने तेरे लिए मगफिरत की दुआ की थी इसलिए तेरा दर्जा ऊँचा कर दिया गया।

(तबरानी अनअबी हुरैरा)

एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि मेरी माँ कुछ वसीयत किये बिना फौत हो गई गुमान है कि अगर उनको जीने का मौका मिलता तो कुछ खैरात करने को कहतीं अब अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सद्का करूं तो क्या उनको सवाब पहुँचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हाँ पहुँचेगा। (बुखारी: 386 / 1)

हज़रत इब्ने उबादा रज़ि0 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि मैं अपनी वालिदा की तरफ से कुछ सद्का करूं तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हाँ पहुंचेगा।

चुनांचे हज़रत सअद बिन उबादा रज़ि0 ने उसी वक्त एक बाग वालिदा मरहूमा की तरफ से सद्का कर दिया। (बुखारी 387 / 1)

एक दूसरी रिवायत में है कि कुआँ खुदवा दिया।

(नसई 115 / 2)

एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि मेरी माँ की वफात हो चुकी है क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? इरशाद हुआ अगर उस पर कुछ कर्ज होता तो अदा करती या नहीं, अर्ज किया क्यों नहीं, फरमाया इसी तरह हज है और हज का हुक्म फरमाया। (अल जामे लि अहकामिल कुर्आन 115 / 117)

एक साहब ने अपने एक अज़ीज शबरमा की तरफ से हज का एहराम बाँधा और तल्बिया पढ़ा, लब्बैक अन शबरमा, (उन साहब ने खुद अपना हज अभी नहीं किया था) इरशाद हुआ कि पहले अपना खुद फर्ज हज अदा करलो फिर शबरमा की नफ्ल हज अंजाम देना। (अबू दाऊद 25 / 21)

कुछ और रिवायतें-

1. हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख्स क़ब्रस्तान से गुज़रे और 11 बार सू–रए –इख़्लास (कुलहुअल्लाहु अहद) पढ़े और मुर्दे को उसका सवाब बख्श दे तो कब्रस्तान में दफ्न मुर्दों के बराबर उसको भी सवाब पहुँचेगा।

2. हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से नक़्ल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कबरिस्तान में दाखिल हो और सूरतुल फ़ातिहा, सू–रए–इख़्लास और तकासुर (अल्हाकुमुत्तकासुर) पढ़ कर कबरिस्तान में दफ़्न मुसलमान मर्द और औरत को बख्श दे तो अल्लाह के हुजूर वह उस के लिए शफाअत करेंगे।

3. हज़रत अनस रज़ि0 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि जो शख्स कबरिस्तान में जा कर सू–रए–यासीन पढ़े तो अल्लाह मुर्दों से अज़ाब को हल्का कर देंगे।

4. इमाम ग़ज़्ज़ाली ने अपनी किताब इहयाउद्दीन में इमाम अहमद से नक्ल किया है कि कबरिस्तान में दाखिल हो तो सूरतुल फातिहा, सू–रए–इख़्लास और मुअ़व्विज़तैन (कुर्आन की आखिरी दोनों सूरतें) पढ़ा करो और कबरिस्तान में मुर्दों को बख़्श दिया करो।

यह चारों तफ्सीरे मज़हरी में मौजूद है कि अगरचि यह रिवायतें कमज़ोर (ज़ईफ़) हैं मगर गढ़ी मौजूअ़ नहीं और उम्मत का इन पर अ़मल है। (देखिए फतावा नदवतुल उलमा: 3/441)

हुक्म से अल्लाह के

–इदारा

ज़ब्ह़ करते जानवर हम हुक्म से अल्लाह के
गोश्त भी खाते हैं उसका हुक्म से अल्लाह के
गर ग़सब से घी मिले उसको भी खाते हम नहीं
काम इस्लामी हैं होते हुक्म से अल्लाह के

हज्जे बैतुल्लाह

(अल्लाह के घर का हज)

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

जो लोग अल्लाह के घर (कअ़बा) पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं उन पर (जीवन में एक बार) हज़ फर्ज़ है। (देखिए आले इमरानः 97)

बड़े ही भाग्यवान हैं वह लोग जो हज के इरादे से मदीना तय्यिबा या मक्का मुकर्रमह पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। निः संदेह वह भी भाग्यवान हैं जो शरीअत (इस्लामिक विधान) के पाबन्द (प्रतिबन्ध करने वाले) हैं परन्तु उन पर अभी हज फर्ज़ नहीं हुआ या फर्ज़ हुआ और उन्होंने हज यात्रा के प्रयास किये परन्तु उनका नाम हज यात्रियों की सूची में न आ सका।

दूसरे देशों का हाल मालूम नहीं परन्तु अपने देश का हाल यह है कि जितने लोग हज का आवेदन पत्र भरते हैं उसके आधे भी नहीं जा पाते, यह तो राज्य प्रबन्ध तथा सऊदी शासन से वीज़ा मिलने पर निर्भर है परन्तु यह बात जरूर कही जा सकती है कि आवेदन पत्र में एक प्रश्न यह होना चाहिए कि आप यह हज फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं या नफ़्ल? इस प्रकार अगर लोग सच्चाई से उत्तर दें और फर्ज़ हज वालों के आवेदन पत्र को प्राथमिकता दी जाए तो बहुत से फर्ज़ हज करने वालों को आसानी से मंजूरी मिल जाए। कअ़बा जो मक्का नगर में है वह अल्लाह का घर कहलाता है, पवित्र कुर्आन में बताया गया है कि वह धरती पर मानव जाति के लिए सबसे पहला पूजा घर है (देखिए सू—रए—आले इमरान आयत नं0 96)। हमारे कुछ वतनी भाइयों को धोखा होता है कि शायद मुसलमान मक्का जाकर कअ़बे की पूजा करते हैं या उसमें लगे हजरे अस्वद की पूजा करते हैं, ऐसा कदापि नहीं है, मुसलमानों को केवल नमाज़ में कअ़बे की ओर रुख़ (मुख) करने का आदेश है उसके पूजने का नहीं। पवित्र कुर्आन की सू—रए—कुरैश में साफ बता दिया गया है कि—

मुसलमान इस घर अर्थात् कअ़बा के स्वामी की उपासना करें (देखिए सू—रए—कुरैश आयत नं0 3) इसी प्रकार हजरे अस्वद (काला पत्थर) को चूमने की अनुमति है न कि पूजने की, मुसलमान न कअ़बे से कुछ माँगते हैं न काले पत्थर से, वह अल्लाह के आदेश से कअ़बे के गिर्द घूमते हुए अपने पालनहार से अपने लिए तथा दूसरों के लिए भलाई माँगते हैं, हाँ नमाज़ों में मुसलमान जहाँ भी नमाज़ पढ़ते हैं कअ़बे की ओर रुख अवश्य करते हैं जिसका पवित्र कुर्आन की सू—रए—बक़रह की आयत नं0 150 में आदेश है जिसका भावार्थ है:—

तुम जहाँ भी रहो नमाज़ में कअ़बे की ओर मुँह करो। इसी प्रकार कुछ वतनी भाइयों को धोखा

होता है कि मुसलमान मदीना तय्यिबा में अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के समक्ष नतमस्तक होते हैं, ऐसा भी नहीं है वहां तो मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में अल्लाह के सामने नतमस्तक होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएँ माँगते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नूरानी क़ब्र की जियारत करते हैं अपनी मौत को याद करते हैं और नबी पर सलाम पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने सलाम करने को नमन करना समझ रखा है यह भी बड़ी भूल है अपितु कुछ लोगों ने शब्द कोश में सलाम का अर्थ प्रणाम और प्रणाम का अर्थ सलाम लिख रखा है यह बहुत बड़ी त्रुटि है, अल्लाह समझ दे। प्रणाम का अर्थ है नतमस्तक होना, नमन करना, रुकूअ़ या सजदा करना, सलाम का अर्थ यह नहीं है जिसको सलाम किया जाता है उसको नमन नहीं करते अपितु उसके लिए अल्लाह से सलामती माँगते हैं, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैक या नबीयल्लाह, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ए नबी! हम आपको नमन करते हैं, बल्कि इसका अर्थ है, हे अल्लाह के नबी आप पर अल्लाह का सलाम हो अर्थात् अल्लाह आप पर सलामती (सम्पूर्ण सुरक्षा) उतारे, इसी प्रकार कहते हैं व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्थात् अल्लाह आप पर अपनी दया कृपा तथा बरकतें उतारे।

उर्दू मुहावरे में सलाम का अर्थ सम्मान भी है अ.र दूसरे अर्थ भी हैं परन्तु मुसलमान जब मुसलमान को सलाम करते हैं तो मुहावरा वाला अर्थ नहीं लिया जाता। यह बातें मुझे जरूरी मालूम हुईं इस लिए इनका उल्लेख किया ताकि जरूरत पड़ने पर अपने वतनी भाइयों की ग़लत फहमियों को दूर करने में मदद मिल सके।

बहुत से हाजी मदीना तय्यिबा पहले पहुँचाए जाते हैं और बहुतों को हज के बाद पहुँचाया जाता है, मदीना तय्यिबा की हाजिरी बड़ी बा बरकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में हज़ार गुना बढ़ा कर मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नूरानी कब्र पर हर समय अल्लाह की रहमत उतरती है उस रहमत से वहां पहुंचे मोमिन को भी रहमत का कुछ भाग मिल जाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके दोनों प्रिय साथियों (हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर रज़ि०) पर सलाम पढ़ने का जो सवाब मिलेगा उसका अनुमान लगाना कठिन है। फिर इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो तअल्लुक़ पैदा होता है और हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर नीज़ खुलफाए राशिदीन और समस्त सहाबा रज़ि० से जो रिश्ता जुड़ता है और उससे जो लाभ

मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, यहां यह याद रहे कि हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर का नाम आने पर खुलफाए राशिदीन और सभी सहाबा की याद आना स्वाभाविक है।

नये हाजियों के लिए हज से सम्बन्धित आवश्यक बातें पिछले अंक में लिखीं जा चुकी हैं यहाँ अपने दूसरे भाइयों के लिए कुछ आवश्यक बातें लिखी जा रही हैं यह बात सब जानते हैं कि इस समय यमन के हौसी विद्रोहियों तथा सऊदी शासन से छिड़ी हुई है सऊदी सरहद पर रॉकेट गिर रहे हैं तमाम हाजी दुआ करें कि अल्लाह तआला खैर फरमाये, अल्लाह तआला हरमैन शरीफैन को सुरक्षित रखे और तमाम हाजी सुरक्षित रहें तथा अम्न व शान्ति के साथ हज अदा कर सकें और मदीना तय्यिबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में सुकून से नमाज़ पढ़ सकें तथा मुबारक क़ब्र की जियारत कर सकें और ख़ैर व आफियत के साथ अपने बाल बच्चों में वापस आ सकें। अपने देश का जो हाल है वह छुपा नहीं है कुछ इस्लाम दुश्मन अपने विशैली भाषणें से साम्प्रदा–यिकता को हवा दे रहे हैं आप हर नमाज़ के बाद दुआ करें कि अम्न रहे शान्ति रहे अल्लाह तआला आँधी, भूचाल तथा बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षित रखे।

जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वह कुर्बानी के दिनों में सावधानी से कुर्बानी करें जहाँ पड़वों की कुर्बानी की अनुमति है वहीं पड़वों की कुर्बानी करें अन्यथा बकरी, बकरे, भेड़ की कुर्बानी करें, कुर्बानी का जानवर सेहतमन्द खरीदें, उसकी उम्र का यक़ीन कर लें, पड़वा दो साल का हो बकरा या भेड़ वग़ैरह एक साल का, उम्र मालूम न हो सके तो जानवर का दाँत देखें हर व्यक्ति दाँत देखना नहीं जानता है जानकार से दाँत दिखवाएं अगर जानवर दाँता है तो उसकी उम्र पूरी है अगर दाँता नहीं है तो उसे कुर्बानी के लिए न खरीदें। कुर्बानी के दिनों में सफाई सुथराई का खूब ध्यान रखें कुर्बानी के जानवर को भूखा प्यासा न रखें उसको अच्छी तरह खिलाएं पिलाएं, कुर्बानी के बाद कुर्बानी की आलाइश (मल, मूत्र, ओझड़ी, छिछड़े आदि) बे जगह फेंक कर दुर्गन्ध न फैलाएं, दूसरों को कष्ट न दें यह दुर्गन्ध बीमारी का कारण भी हो सकती है अतः सावधानी बरतें।

9 ज़िलहिज्ज की फज्र से तेरह ज़िलहिज्ज की अस्र तक हर फर्ज़ नमाज़ के बाद तकबीरे तशरीक़ कहना न भूलें, बक़र ईद की नमाज़ ईद ही की नमाज़ की तरह होती है सिर्फ नियत का फर्क़ है उसका बयान एक अंक पहले हो चुका है। तमाम पाठकों से अनुरोध है कि वह अपनी दुआओं में अपने सम्पादक को भी शामिल करें। धन्यवाद!

तकबीरे तशरीक़: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइलाह इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

इस समय तुम्हें कौन बचा सकता है?

जब रसूलुल्लाह सल्ल0 ग़ज़व—ए—ज़ातुर्रिका से वापस हुए तो दोपहर को आप सल्ल0 ने ऐसी जगह आराम फरमाया जहां बबूल के बहुत से पेड़ थे और लोग उन पेड़ों की तरफ चले गये और आप खुद सल्ल0 बबूल के पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे और अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका दी।

हज़रत जाबिर रज़ि0 बयान करते हैं उसी बीच में हमारी आंख लग गयी और हम थोड़ा सो गए थे कि महसूस हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं हमने देखा की एक आराबी आप सल्ल0 के पास बैठा हुआ है आप सल्ल0 ने फरमाया कि मैं सो रहा था, उसने यह तलवार उठायी मेरी आंख खुली तो तलवार मेरे सर पर खीचे हुए था उसने मुझसे कहा कि इस वक्त तुम्हें कौन बचा सकता है? मैंने कहाः अल्लाह! लो यह बैठा हुआ है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको कोई सज़ा नहीं दी।

रहमतुललिल आलमीनी (पूरे संसार के लिए करूणा और दया)–

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में महब्बत और सबके साथ हमदर्दी का जज़्बा असाधारण स्तर का था और उस जज़्बे का असर मुसलमानों पर जो पड़ा, और मुसलमानों के ज़हनों की जो तरबियत (प्रशिक्षण) हुई वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद आने वाले मुसलमानों की ज़िन्दगियों में बराबर महसूस की जाती रही और उसका असर यह ज़ाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद मुसलमानों की हुकूमत जहां जहां फैली और जहां जहां मुसलमान आबाद हुए। वहां उन लोगों की रहम दिली और रिआयतें देख कर इलाक़े के इलाक़े खुद से इस्लाम में दाखिल हो गए। उन पर किसी ने ऐसा करने के लिए कोई ज़ोर • जब्र नहीं किया। इसलिए कि इस्लामी शिक्षा में अपना धर्म बदल कर इस्लाम लाने के लिए किसी पर जब्र करने की इजाज़त नहीं और यहां तक कि मुसलमानों के शासन काल में जो ग़ैर मुस्लिम आबाद हों उन पर वह ज़िम्मेदारियां भी नहीं डाली जाएं जो मुसलमानों पर डाली जाती हैं। और उनको अपने अपने धर्म पर अपनी धार्मिक शिक्षाओं के अमल करने की इजाज़त उन मामलात में दी जाती रही है कि जिन की मुमानियत मुसलमानों के लिए होती है। इसी का प्रभाव था कि इस्लाम की यह विशेषताएं जिन जिन ग़ैर मुस्लिमों को देखने का मौका मिला उन्होंने इस्लाम को कुबूल किया।

इस्लाम को कुबूल करने का तात्पर्य यह था कि

अल्लाह को अकेला पालनहार और मालिक माना जाए और उसके आदेशों पर जो नबी द्वारा मिले हैं उन पर अमल करे। और इस्लाम से पहले की ज़िन्दगी में जो अत्याचार और नैतिक गिरावट और यौन सम्बन्धी बिगाड़ था वह समाप्त हो। अतः इसी पर अमल होता रहा और मानव समाज में बहुत सुधार आया और बहुत सी अच्छाईयां उत्पन्न हुईं। जिनमें उत्तम मानव विशेषताएं और आचरण प्रमुख रूप में सामने आया। इसका अनुमान इस्लाम से पहले की सोसाइटी में जातिवादी और सत्तावादी की ओर से जो अत्याचार और खूनखराबा होता था, और जिसको इतिहास के पन्नों में देख कर आदमी कांप जाता था। इस्लाम के अधीन बनने वाली हुकूमतों में लड़ाई और टकराव होने की सूरत में भी उसका एक प्रतिशत भी पेश नहीं आया। बैतुलमुकद्दस पर जब रूमियों ने लड़ कर कब्ज़ा किया तो उसके मुसलमान शासकों और उनके हम क़ौम लोगों को यानी मुसलमानों को क़त्ल करने में इतना खून बहाया कि घोड़ों के घुटने तक खून पहुंचा। लेकिन मुसलमानों ने जब उसे बाद में वापस लिया तो मुसलमानों ने उस पर कब्ज़ा करने वाले ईसाई शासकों को माफ कर दिया। जिसको स्वयं इतिहासकार "स्टैनले लेन पोल" ने स्वीकार किया है।[1]

इस्लाम से पहले की हर सोसाइटी में चाहे रूमी साम्राज्य की सोसाइटी हो, या ईरानी साम्राज्य की सोसाइटी हो, या हिन्दुस्तानी उपमहाद्वीप या आस पास की सोसाइटी हो औरतों के साथ ऐसा अत्याचारी व्यवहार किया जाता था कि जो जानवरों के साथ किया जाता था। उनको न विरासत में हक मिलता था और न भाईयों की तरह हक़ हासिल कर सकती थीं। उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त का भी कोई प्रबन्ध न था और उनसे खिदमत स्वयं उसके घर में नौकरों और गुलामों की तरह ली जाती थी और उनसे विधवा होने पर तो उन्हें मनहूस समझा जाता था और उनकी पैदाईश पर घर वाले ग़मज़दा (शोकग्रस्त) हो जाते थे और बहुत से लोग उनको बड़े होने से पहले ही ख़त्म कर दिया करते थे और जिनको ख़त्म नहीं किया जाता था उनके साथ पूर्व वर्णित व्यवहार किया जाता था।

इस्लाम के आने के बाद औरत को इज़्ज़त का हक़दार करार दिया। विरासत में उसको हिस्सेदार बनाया कि माँ बाप के मरने पर वह भी विरासत के माल में हिस्सेदार हों, औरत के साथ औरत होने की वजह से दुर्व्यवहार को हराम क़रार दिया। जाहिलियत में जब औरत को माहवारी आती तो सोसाइटी में उसको अछूत बना दिया जाता। उसके कोई क़रीब नहीं आता। कोई क़रीब बैठता नहीं। इस्लाम ने इस बात को भी ख़त्म किया। उससे सम्भोग करने के अलावा सहयोग की दूसरी बातों की इजाज़त दी। इस्लाम से पहले औरत को शो पीस बना

1. इन्साइक्लोपीडिया बर्टानिका, भाग 6, पृ0 627

कर रखा जाता था कि वह अपने शरीर और वस्त्र द्वारा दूसरों को लुभाए और अपने सज्जा श्रृंगार द्वारा लोगों की नज़रों में आनन्द का साधन बने और मर्दों के स्वभाव में मर्दों के लिए मनोरंजन का सामान बने। इस्लाम ने आकर इस बात को सख्ती से मना किया और हुक्म दिया कि औरत को ग़ैर मर्दों के बीच आने की ज़रूरत पड़े तो वह अपने शरीर को ढीले ढाले वस्त्र में रखे ताकि उस पर ललचाई नज़रें न पड़ें।

इसी तरह विभिन्न मामलात में और इबादत के अवसर पर जो आदेश दिये गये उनमें मर्दों के साथ औरतों का भी उल्लेख किया गया और मौक़ा दिया गया अलबत्ता दोनों के बीच जो शारीरिक और प्राकृतिक अन्तर है उसके लिहाज़ से जितना अन्तर आवश्यक था वह अन्तर रखा गया। कुरआन मजीद में फरमाया गया:–

"और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के तअल्लुक वाले हैं अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करते हैं, यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। बेशक खुदा ग़ालिब (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला"।

(सूरा तौबा–71)

और फ़रमाया:

"जो व्यक्ति नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वह मोमिन भी होगा तो हम उसको (दुनिया में) पाक और (आराम की) ज़िन्दगी से ज़िन्दा रखेंगे और (आख़िरत में) उनके आमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे।"

(सूरा नहल–97)

और फ़रमाया:

"मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत बर्बाद (नष्ट) नहीं करता, तुम एक दूसरे से सम्बन्धित हो।"

(सूरा: आले इमरान–195)

और हुज़ूर सल्ल0 ने हज्जतुलविदा के मौके पर फ़रमाया: औरतों के मामले में अच्छा रवय्या इख़्तियार करो तुमने उनको अपने सम्बन्ध में अल्लाह की अमान के साथ लिया है और उनसे सम्भोग का हक़ अल्लाह के हुक्म के ज़रिए प्राप्त किया है।

इस तरह औरत की बनावट में मर्दों के मुकाबिले में थोड़ा अन्तर है जो मर्द के मुकाबिले में कमज़ोरी का कारण है। इस का लिहाज़ करते हुए मर्द का उससे ग़लत फायदा उठाने से बचाने के लिए कुछ तरीके नियुक्त किये गए। उदाहरणतः वह अकेले सफर न करे, उसके साथ उसका पति और कोई सगा रिश्तेदार भी रहे, उसको पत्नी बनाकर उस पर अपना अधिकार प्राप्त करने के बदले में रकम या माल के रूप में महर का भेंट करना अनिवार्य किया गया। उसकी मिलकियत (स्वामित्व) में जो माल व सामान हो उसमें रद्दो बदल की इजाज़त नहीं दी। उस माल पर अधिकार केवल उसी को दिया शौहर को नहीं दिया। विवाह से पहले उसके खर्च की ज़िम्मेदारी उसके माँ बाप पर वह न हों तो उसके बहुत ही करीबी रिश्तेदारों पर थी और निकाह के बाद यह जिम्मेदारी उसके शौहर पर की गयी। इसी तरह बीवी अपने खर्च की खुद ज़िम्मेदार नहीं रखी गयी।

अलबत्ता वह उसके मुक़ाबले में घर की मालिका और अपने पति की सहायक होगी। घर के मामलात और बच्चों के देखभाल की ज़िम्मेदार होगी। फरमाया गया "औरत अपने शौहर के देख भाल की ज़िम्मेदार है और शौहर से तलाक़ के ज़रिये जुदा होने की सूरत में अपने माता पिता की किफ़ालत (प्रतिभूति) और ज़िम्मेदारी में वापस हो जाती है।"

इस्लाम में रहमदिली, हमदर्दी और इंसानियत नवाज़ी की जो क़दरें (वैल्यूज़) अनिवार्य कीं उनका यह प्रभाव पड़ा कि जहां जहां मुसलमान उन क़दरों के साथ गए वहां की दुन्या बिल्कुल बदल गयी और वह जुल्म व ज़ियादती जो आपस में वर्ग भेद के कारण और मर्द के अन्तर के लिहाज़ से या राजा प्रजा के भेदभाव के लिहाज़ से अथवा परस्पर सामरिक टकराव के अवसर पर या केवल आनन्द और भोग विलास के उद्देश्य से जो अत्याचार किया जाता था वह समाप्त हो गया और इस्लाम को न कुबूल करने वालों पर भी इन बातों का कुछ न कुछ असर पड़ा। और उनकी बातों के अलावा दूसरे प्राणियों के साथ जुल्म के जो तरीक़े अपनाए जाते थे केवल मनोरंजन और खेल के तौर पर इंसानों और जानवरों को कुएं जैसी जगह पर बंद करके लड़ाया जाता था और उससे तमाशा देखने वाले मज़ा लेते थे। जानवरों के साथ किसी भी तरह की रहमदिली की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। उन सब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन और आपकी शिक्षा और आचरण से असाधारण परिवर्तन आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुसलमानों के लिए ही रहमत नहीं बने बल्कि इंसानों के साथ साथ सारी सृष्टि के लिए रहमत बने और उसी की ओर अल्लाह तआला की तरफ से कुरआन मजीद में इज़हार (अभिव्यक्ति) किया गया कि "हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है।"

❖❖❖

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का मकाम

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद मेरे सहाबा से बुग़्ज़ व अ़दावत न रखना, जिसने मेरे सहाबा से महब्बत की उसने मेरी महब्बत के सबब से महब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा, अदावत की, अस्ल में वह मुझसे बुग़्ज़ रखता था मुझ से बुग़्ज़ रखने के सबब मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा।

हम सारे सहा–बए–किराम रज़ि0 से महब्बत रखते हैं, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ, वह सब अपने रब से राज़ी हुए।

हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग़ होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

चौथी विशेषता- खुदा के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हार्दिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क (किन्तु अतिश्योक्ति रहित)- मुसलमानों की चौथी विशेषता उनका अपने पैग़म्बर से घनिष्ट सम्बन्ध है। उनके यहाँ पैग़म्बर—ए—खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मान केवल एक महापुरुष अथवा आदर्णीय व्यक्तित्व तथा धार्मिक नेता के समान नहीं अपितु उनका सम्बन्ध आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के व्यक्तित्व के साथ इससे कहीं अधिक और इससे कुछ भिन्न है। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महानता का सम्बन्ध है, उसको फ़ारसी भाषा के अग्रांकित एक पद से व्यक्त किया जा सकता है।

"बाद अज़ ख़ुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़तसर"

(ईश्वर के बाद आप ही सर्व महान हैं—बस)

मुसलमानों को आप के बारे में अनेकेश्वरवादी विचार धाराओं और उस अतिश्योक्ति से भी रोका गया है जो अनेक पैग़म्बरों के अनुयायियों ने अपने पैग़म्बर के प्रति न्याय संगत ठहराया है। एक शुद्ध हदीस में स्पष्ट रूप से आया है कि मुझे मेरे स्थान से आगे न बढ़ाना और मेरे बारे में उस मुबालिग़ा (अतिश्योक्ति) से काम न लेना जो ईसाईयों ने अपने पैग़म्बरों के बारे में किया। तुम इसे इस प्रकार कह सकते हो कि— खुदा का बन्दा और खुदा का रसूल।

मुसलमानों को अपने नबी से जो श्रद्धा एवं प्रेम है उसका उदाहरण नहीं मिलता-

परन्तु इस सामान्य श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मुसलमानों को अपने पैग़म्बर के साथ जो भावपूर्ण लगाव है तथा हार्दिक सम्पर्क एवं सम्बन्ध है ऐसा हमारे सीमित ज्ञान तथा अध्ययन के अनुसार किसी अन्य जाति एवं सम्प्रदाय में अपने पैग़म्बरों के प्रति नहीं पाया जाता। यह कहना अनुचित न होगा कि इन में सहस्त्रों, लाखों व्यक्ति आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने माता—पिता, सन्तान एवं जान से कहीं अधिक प्रिय मानते हैं और आपके मान मर्यादा की सुरक्षा अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वह किसी समय भी इस मान मर्यादा पर आँच आने को सहन नहीं कर सकते। इस मर्यादा की रक्षा हेतु वह निरन्तर तत्पर रहते हैं और समयानुसार प्राणों की बलि चढ़ा कर उसकी रक्षा करते हैं। हर युग में इस वक्तव्य एवं कथन की पुष्टि के लिए अनेकों घटनायें प्रमाण स्वरूप सुगमता पूर्वक प्रस्तुत की जा सकती हैं। आज भी आपका नाम तथा मान, आपका नगर (मदीना), आप का कथन तथा आपसे सम्बद्ध वस्तुयें मुसलमानों के लिए विशेष आकर्षण का

साधन तथा विशेष रूप से उनके रक्त एवं स्नायु में गति एवं ताप का संचार करती रहती हैं। इस तथ्य को एक भारतीय उर्दू कवि मौलाना ज़फ़र अली खाँ, बी0ए0 (अलीग0), सम्पादक पत्रिका "ज़मीनदार" ने अपने दो छन्दों में व्यक्त किया है:–

नमाज़ अच्छी, ज़कात अच्छी,
हज अच्छा, रोज़ा भी अच्छा।
मगर मैं बावजूद इसके
मुसलमां हो नहीं सकता।।
न जब तक कट मरूं मैं।
ख़्वाज-ए-यसरिब की इज़्ज़त पर।खुदा शाहिद है कामिल मेरा
ईमाँ हो नहीं सकता।।

जिस बाहुल्य से आप पर दुरूद भेजा जाता है, और मुसलमानों के यहां इसका जो विशेष महत्व है तथा जिस बाहुल्यता से सीरत[1] पर पुस्तकें एवं रचनायें संसार की विभिन्न भाषाओं में और स्वयं भारतवर्ष में जिस अधिकता से पुस्तकें लिखी गई हैं और अब भी लिखी जा रही हैं। आत्मा की जिस लीनता, मृदुलता एवं कोमलता, हृदय के जिस प्रेम भाव एवं अनुराग, काव्य के जिस सौन्दर्य एवं कौशल, भाषा की जिस सरसता एवं सरलता और वक्तव्य के जिस माधुर्य एवं मिठास को नअतिया शायरी के द्वारा व्यक्त किया गया है और किया जा रहा है, उसका उदाहरण संसार के साहित्य में नहीं मिलता। इस क्षेत्र में भी भारतीय मुसलमान ईरान के अतिरिक्त, (जहाँ दक्ष एवं उत्तम नअत कहने वाले पैदा हुये हैं) दुन्या के हर इस्लामी देश से आगे हैं। इस उपमहाद्वीप में मोहसिन काकोरवी, अमीर मीनाई, ख़्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना ज़फ़र अली खाँ, डॉ0 सर मुहम्मद इक़बाल, इक़बाल अहमद सुहैल, हफ़ीज़ जालंधरी ऐसे नअत कहने वाले कवियों ने जन्म लिया है और जिनका उदाहरण इस समय इस्लामी देशों में नहीं पाया जाता, अतएव इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी मुसलमानों के विचार एवं धारणायें कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि यहाँ के एक कवि "आसी ग़ाज़ीपुरी" ने अपने इस छन्द में व्यक्त किया है–

सबा यह जा के तू कहयो मेरे सलाम के बाद
कि तेरे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद।।

नुबूव्वत के अन्त होने का विश्वास–

मुसलमानों का यह भी विश्वास (अक़ीदा) है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के सर्वोच्च एवं अन्तिम नबी हैं और आप पर वही एवं नुबूव्वत का कर्म सदैव के लिए समाप्त हो गया। अब आप के बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा वह झूठा तथा आडम्बरी है। यह विश्वास कुरआन मजीद, हदीस शरीफ़ और तवातुर[1] पर आधारित है और इस अक़ीदे ने मुस्लिम समाज के लिए सदैव एक लौह घेर तथा सीमान्त रेखा (Line of Demarcation) का काम

---

1. भारत के लिए यह गर्व की बात है कि सीरत के विषय पर कुछ उत्तम पुस्तकें (जिनका उदाहरण अरबी एवं फ़ारसी में भी नहीं) भारत में लिखी गई हैं– यथा अल्लामा शिब्ली नोमानी द्वारा रचित "सीरतुन्नबी" दो भाग, जिसमें चार भागों की अभिवृद्धि उनके शिष्य मौलाना सैयद सुलैमान नदवी ने की, "रहमतुल लिल आलमीन" (लेखक काज़ी मुहम्मद सुलैमान मंसूर पुरी), "खुत्बात–ए– मद्रास" (लेखक– सैयद सुलैमान नदवी), "असह्हुस्सियर" (लेखक– मौलाना अब्दुर्रऊफ़ दानापुरी), "अन्नबीयुलखातिम" (लेखक–सैयद मनाज़िर अहसन गीलानी)

1. कथन अथवा क्रिया के सुनने देखने वाले और फिर उस कथन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले हर युग में इतनी बड़ी संख्या में रहें कि मानव बुद्धि सबका असत्य होना स्वीकार न करे।

किया है और हर युग में मुसलमानों को षड़यंत्रकारियों का शिकार होने से बचाया है।

सहाब-ए-किराम और अहले बैते नबवी से प्रेम-

मुसलमान उन समस्त महान भावों का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये और आपकी सुसंगति का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उनको सर्वमान रूप से "सहाबा" कहते हैं, उनका सम्मान करना तथा उनकी सेवाओं की सराहना करना अनिवार्य समझते हैं, और उनको दीनदार मुसलमान, अपना हितकारी तथा महापुरुष मानते हैं- और जब कभी उनमें से किसी का नाम लेते हैं तो "रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु" कहते हैं। उनमे से चार को अत्यन्त महान माना जाता है जो क्रमशः अग्रलिखित हैं-

(1) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़
(2) हज़रत उमर फारूक़
(3) हज़रत उस्मान ग़नी तथा
(4) हज़रत अली मुर्तुज़ा रज़ि अल्लाह तआला अन्हुम

उपर्युक्त चारों महान सहाबी क्रमानुसार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफ़ा अर्थात् उत्तराधिकारी हुए हैं। इन चारों सहाबा को क्रमशः अन्य सहाबियों की अपेक्षा उच्च श्रेणी का माना जाता है और जुमा तथा दोनों ईदों के ख़ुत्बे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद इनका नाम अवश्य लिया जाता है[1]। इन चार के अतिरिक्त छः और सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी संसार में जन्नती होने की शुभ सूचना दे दी थी, इन दस सहाबियों को "अशरह मुबश्शरह" कहते हैं।

मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ानदान के सदस्यों को अहले बैत कहते हैं तथा जिन में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की धर्म पत्नियां, सुपुत्रियां तथा नवासे सम्मिलित हैं, और जिन से प्रेम रखना प्रत्येक मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है और उनको सदैव श्रद्धा, प्रेम तथा सम्मान के साथ याद करते हैं, साथ ही इस बात को अपने पैग़म्बर से प्रेम एवं सम्मान का एक अंग मानते हैं।

कुरआन मजीद की महिमा तथा उसका मान एवं स्थान-

मुसलमान कुरआन मजीद को एक मात्र रूप नैतिक एवं सामाजिक नियमों का संकलन एवं ज्ञान का स्रोत ही नहीं मानते बल्कि ईश्वर प्रदत्त अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार करते हैं और समयानुसार व्यवहारिक रूप दे कर आदि से अन्त तक पढ़ते हैं। शब्द और अर्थ के रूप में खुदा का कलाम तथा वही इलाही समझते हैं जिसके प्रत्येक शब्द, अक्षर बिन्दु एवं चिन्ह मूलरूप से सुरक्षित हैं और इसमें लेशमात्र कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न हो सकता है। वह इसको सदैव पवित्र तथा वुज़ू करके पढ़ते हैं और आदर एवं सम्मान हेतु उच्च स्थान पर रखते हैं।

कुरआन मजीद कंठस्थ करने का मुसलमानों मे रिवाज-

कुरआन मजीद कंठस्थ (हिफ़्ज़) करने का

1. इसना अशरिया सम्प्रदाय (शिया) का इस बारे में मतभेद सबको ज्ञात है।

सम्पूर्ण विश्व के मुसलमानों में प्रचलन है। हिन्दुस्तान में इसके लिए विशेष कर मदरसों की स्थापना हुई, जहाँ कुरआन मजीद हिफ़्ज़ करने तथा तजवीद (कंठ विशिष्ठ स्थानों से शब्दों तथा अक्षरों का शुद्धीच्चारण) की कलात्मक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है[1]। केवल हमारे देश हिन्दुस्तान में हाफ़िज़ों की संख्या हज़ारों से बढ़ कर लाखों तक पहुँच गई है। उनमें ऐसे दक्ष एवं प्रवीण हाफ़िज़ हैं, जो एक ही रात में सम्पूर्ण कुरआन मजीद सुना देते हैं और ऐसी हस्तियां इस समय पाई जाती हैं जिनका रमज़ान के मास में नित्य प्रतिदिन एक कुरआन मजीद पढ़ने का वर्षों से नियम बना हुआ है। इन हाफ़िज़ों में दस--दस, बारह--बारह वर्ष के बच्चे भी अधिक संख्या में पाये जाते हैं जिनको यह ग्रन्थ[2] (कुरआन मजीद) कंठस्थ है और उसको वह प्रवाह के साथ मौखिक रूप से पढ़ सकते हैं। महिलाओं[3] में भी हर युग में एक बड़ी संख्या हाफ़िज़ों की रही है।

हदीस, सुन्नत तथा फ़िक़्ह से सम्बन्ध-

ख़ुदा के पैग़म्बर तथा कुरआन मजीद के बाद दूसरे दर्जे में मुसलमानों का सम्बन्ध हदीस, सुन्नत, शरीअत तथा फ़िक़्ह आदि से है। हदीस शरीफ़ को मुसलमानों ने जिस प्रकार प्रमाण तथा अपने मूल शब्दों सहित सुरक्षित रखा है, उसके लिए जो स्थायी जीवन चरित्र का संग्रह एकत्र किया, उस पर जो उन्होंने ग्रन्थों का विशाल संग्रहालय तैयार किया और उस वैज्ञानिक विरासत को जिस प्रकार वह अभी तक अपने सीने से लगाये हुए हैं, यह एक अलग से बड़े अन्वेषणात्मक वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक ग्रन्थ का विषय है और इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने हदीस के ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया है और इसमें प्रमुख स्थान प्राप्त किया और अन्तिम दो शताब्दियों में तो वह समस्त इस्लामी संसार का केन्द्र और इस कला का केन्द्र बिन्दु बन गया, जहां से उन्हें आश्रय मिलता है। अब भी जिस सुयोजित तथा विस्तृत रूप से यह कला उसके मदरसों विशेषतः दारुलउलूम देवबन्द, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, दारुलउलूम नदवतुल उल्मा, लखनऊ तथा मर्कज़ी दारुल उलूम बनारस और कुछ दूसरे मदरसों में पढ़ाई जाती है, उसकी अरब तथा इस्लामी देशों में मिसाल नहीं।

शेष पृष्ठ.....29.... पर

---

1. हमारे नगर लखनऊ को यह गर्व है कि यहाँ हिफ़्ज़ एवं तजवीद का एक बहुत बड़ा मदरसा "मदरसा फ़ुरकानिया" के नाम से स्थापित हुआ जिससे निकले हुए हाफ़िज़ तथा क़ारी अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान तथा अरब में भी फैले और उन्होंने उन, स्थानों पर शिक्षालयों की स्थापना की जहाँ उनके अपने ज्ञान की दक्षता एवं प्रवीणता के कारण उत्तम शिक्षक स्वीकार किया गया। यह मदरसा मौलाना ऐनुल कुज़ा साहब के पिता ने 1908–1909 ई0 में लखनऊ में स्थापित किया था और वह मौलाना के जीवन में ही, अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। अब भी वह किसी न किसी रूप में क़ायम है हिन्दुस्तान के अनेक अरबी मदरसों में हिफ़्ज़ तथा तजवीद की शिक्षा का भी प्रबन्ध है और प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में हाफ़िज़ पैदा होते हैं।

2. ग़ैर मुस्लिमों की जानकारी हेतु लिखा जाता है कि इस ग्रन्थ में तीन लाख चालीस हज़ार सात सो चालीस अक्षर हैं (तफ़सीर इब्न कसीर प्रथम प्रति, पृ017) और मिस्री टाईप में इसकी मोटाई लगभग छः सौ से लेकर आठ सौ पृष्ठों तक होती है।

3. केवल मेरे छोटे से खानदान में मेरे बचपन में लगभग एक दर्जन हाफ़िज़ औरतें थीं, जिनमें केवल मेरे घराने में, खाला (मौसी), एक फूफी, एक मुमानी एक खालाज़ाद बहन थीं। वे रमज़ान के मास में कुरआन मजीद सुनाती थीं और महिलाओं की एक बड़ी संख्या उनके पीछे सुनती थी।

एकेश्वर वाद

एक ही ईश्वर की केवल तुम करो बस वंदना
शिर्क होगा गर करोगे ग़ैर की तुम वंदना
हम नमस्ते कहते हैं अपने फ़क़त अल्लाह को
शिर्क है कहना नमस्ते ग़ैर को यह जान लो
रब को ही प्रणाम हो, रब ही को नमस्कार
है ग़ैर को प्रणाम शिर्क और नमस्कार.....
है महब्बत मुल्क से और मुल्क के हर खेत से
पर इबादत का तअ़ल्लुक़ है फ़क़त अल्लाह से
हाँ हिफ़ाज़त मैं करूँगा जान दे कर मुल्क की
पर इबादत तो करूँगा मैं फ़क़त अल्लाह की
दोस्तो यह जान लो मैं शिर्क कर सकता नहीं
जान दे सकता हूँ लेकिन दीन दे सकता नहीं

—देवनागरी लिपि में उर्दू

आल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दाइ—रए—कार

—हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी

—हिन्दी लिपिः राशिदा नूरी

मुसलमानों को अपने दीन पर अमल करना और अपने आइली मुआमलात को शरीअते इस्लामी के अहकाम के मुताबिक़ अंजाम देना कितना ज़रूरी है, इसको कुरआन करीम और हदीस शरीफ़ की तअलीमात से बखूबी समझा जा सकता है, मुसलमानों की शरीअत उनकी ज़िन्दगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई करती है, उनकी ज़िन्दगी की मुश्किलात का हल बताती है, उन ज़रूरतों का हल बताने वाली शरीअत से रू गरदानी न सिर्फ ये कि बड़ी महरूमी की बल्कि खुदा को सख़्त नाराज़ करने वाली बात है, इससे मुसलमानों को अपने परवरदिगार की मदद व रहमत से महरूमी मिलती है बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से सख़्त पकड़ होने का अन्देशा हो जाता है, अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन मजीद में साफ—साफ फरमा दिया है कि उसको अपनी तरफ से अता करदह दीन व शरीअत की खिलाफ़वर्ज़ी बिल्कुल कुबूल नहीं, फरमाया। जो शख़्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तालिब होगा वह उससे हरगिज़ कुबूल नहीं किया जायेगा और ऐसा शख़्स आख़िरत में नुक़सान उठाने वालों में होगा।

(सू—रए—आले इमरानः 85)

सूरे माएदा में है किः क्या यह ज़मानऐ जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमन्द हैं? और जो यह यक़ीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किस का है?

अल्लाह तआला अपना यह दीन और शरीअत अपने आखिरी नबी सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिए मुसलमानों को अता किया, और अपने उस आख़िरी नबी के अहकामात और फैसलों को मानना ज़रूरी क़रार दिया और ये फरमाया कि उसके माने बग़ैर कोई मुसलमान नहीं रहता, फरमायाः तुम्हारे परवरदिगार की क़सम यह लोग जब तक अपने तनाज़आत में तुम्हें मुनसिफ़ न बानाऐं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल मे तंग न हों बल्कि उसको खुशी से मान लें तब तक मोमिन नहीं होंगे।

(सू—रए—निसाः 65)

लेकिन सख़्त अफसोस की बात है कि मुसलमानों में अपनी शरीअत के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने से बड़ी बे तवज्जोही पैदा हो गई है, उसके अहकामात की तअमील के बजाय दूसरों के रस्म व रिवाज पर अमल किया जाने लगा है जो कि एक तरफ़ खुदा और उसके रसूल की ना फरमानी और उनकी नाराज़गी का बाइस है, तो दूसरी तरफ मुसलमान का बहैसियत मुसलमान साबित होना मुश्किल हो गया है, वह अपने दीने फितरत इस्लाम के तौर व तरीक़े इख्तियार करने के बजाये जाहिलाना व मुसरिफाना और बेजा तौर व तरीक़े को इख्तियार करने वाले और ग़ैरों की रस्मों को अपना वतीरह बनाने वाले बनते जा रहे हैं।

ऐसी सूरते हाल कुछ तो ग़फलत और नफ़्स परस्ती के सबब हुई है और कुछ अपनी शरीअ़त से ना वाक़िफियत की बिना पर हुई है, गफ़लत और नफ़्स परस्ती को दूर करने के लिए वअ़जो नसीहत की ज़रूरत है, और ना वाकिफीयत का इलाज उनको शरीअ़त के ज़रूरी अहकाम से वाकिफ़ कराने से किया जाता है इसलिए इस मुल्क में जहां का दस्तूर सेकूलरिज्म पर मबनी है और मुसलमान अक़ल्यित में भी है हुकूमत से तवक़्क़अ नहीं की जा सकती है, इसको मिल्लते इस्लामी के फरज़न्द ही अंजाम दे सकते हैं क्योंकि अपनी मिल्लत को उस्तुवार और महफूज़ रखने की ज़िम्मेदारी खुद उन्हीं की है, शरीअ़ते इस्लामी के सिलसिले के मुआमलात का मुल्क के अ़दालती व दस्तूर साज़ी के इदारों से जो तअ़ल्लुक़ है उसके लिए अलहम्दुलिल्लाह हुकूमत के सामने मुदाफिअ़त करने और ग़लत फहमियाँ दूर करने की जिद्दोज़हद मुस्लिम परसनल्ला बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने अन्जाम दी है और शरीअ़ते इस्लामी को नुक़सान पहुंचाने वाले बाज़ ज़ाबतों को बदलवाया और उसमें जब कोई नई पेचीदगी होती है बोर्ड उस की फिक्र करता है और उसके लिये जद्दोजहद करता है इसी तरह इस महाज़ पर अल्हमदु लिल्लाह ज़रूरत के मुताबिक़ काम अन्जाम पा रहा है।

दूसरा महाज़ खुद मुसलमानों को शरीअ़ते इस्लामी पर अमल करने के दायरे में लाने का है जो सबसे वसीअ़ और अहम है उसके लिए बोर्ड ने दीगर मिल्ली इदारों की मदद से इस्लाहे मुआशरह के उनवान से काम शुरु किया है ये काम ज़ियादा वसीअ़ और अन्थक मेहनत का काम है ज़रूरत है कि उसके लिए जगह जगह इजतिमाआत किये जायें आम्मतुल मुस्लिमीन को शरीअते इस्लामी के अहकाम की खिलाफ़ वरजी से रोका जाये उनके मामलात में ग़ैर इस्लामी तौर तरीक़े दाखिल हो गये जिनसे परवरदिगार की मरज़ी और उसके आखिरी नबी की तअ़लीमात की खिलाफ़ वरज़ी हो रही है। उससे बाज़ रहने की तलक़ीन की जाये दुन्या व आखिरत दोनों में जो नुक़सान व तबाही का ख़तरा है। वो दूर हो। निकाहो शादी में ग़ैर ज़रूरी नुमाइश व आराइश मुसरिफ़ाना इख़राज़ात और जाहिलाना रस्में वह ग़ैर आक़िलाना तरीक़े जिससे एक तरफ तो खुदा और रसूल को नाराज़ किया जा रहा है और दूसरी तरफ़ वह क़ीमती सरमाया जो खुद ज़ौजैन के मुस्तक़बिल की तअ़मीर और मिल्लत के ज़रूरी कामों में लगाया जा सकता है ज़ाएअ़ होता है और उसी के साथ इस का सरफ़ करना लड़की लड़के के वालिदैन के लिए सख़्त बार का बाइस भी बनता है ज़रूरत है कि इस्लाह के लिए लोगों को समझाया जाये वह महज़ वक़्ती लुत्फ़ और नामों नमूद के लिए इस तरीक़े से अपने इक़तिसादी मुस्तक़बिल को भी नुक़सान पहुंचाते हैं और मिल्लत के ज़रूरी तक़ाज़ों को पूरा करने में जो हिस्सा लिया जा

सकता है उससे भी कासिर रहते हैं फिर अपने परवरदिगार और उसके आखिरी नबी के अहकाम की ख़िलाफ़ वरज़ी करके उनको नाराज़ करते हैं। ये नाराज़गी उनके लिए दुन्या व आखिरत दोनों में नुक़्सान का बाइस बनती है।

निकाह व शादी के मुआमलात में शरीअ़ते इस्लामी के तै करदह मुफीद और मोअ़तदिल तरीक़े की पाबंदी न करके ज़ौजैन के माबैन तअ़ल्लुक़ात बअ़ज़ वक़्त सख़्त कशीदह हो जाते हैं कि तल्खी और बअ़ज़ ज़ालिमाना तरीक़े से अलाहेदगी तलाक़, जान की हलाकत तक नौबत पहुंचती है ये सही है कि ज़ौजैन के दरमियान बअ़ज़ वक़्त सही तरीक़े कार इख़्तियार करने के बावजूद अलाहेदगी की ज़रूरत पेश आ जाती है इसके लिए शरीअत ने तलाक़ का ज़रिआ़ मुहय्या किया है लेकिन उसका मुनासिब तरीक़ा बताया है वह ये कि पहले अहले तअ़ल्लुक की तरफ से मेल मिलाप कराने की कोशिश की जाये और काम न होने से एक एक करके तीन महीनों में तलाक़ दी जाये। बेशतर फ़िक़ही मसलकों में इन्तिहाई ज़रूरत पर एक मरतबा में तलाक़ दे कर अलाहेदगी की जा सकती है अगरचे उसको मुस्तहसन करार नहीं दिया गया है मुकम्मल अलाहेदगी तै कर लेने पर खूबी व हमदर्दी के तरीक़े से रुख़्सत करने की तलक़ीन की गयी है और दिलदारी की शक्ल बताई गयी है बहुत से मुसलमान इन हिदायात को नज़र अंदाज़ करके ख़राब सूरते हाल पैदा कर देते हैं इसी तरह तक़सीमे मीरास का मुआ़मला है रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक का मसला है और दीगर आ़यली मुआ़मलात हैं फिर एक अहम बात शराब और जुऐ की बद आ़दते हैं शराब और जुऐ को शरीअ़त ने हराम और सख़्त क़ाबिले मज़म्मत बताया है इससे मालो मताअ़ की बरबादी और आ़यली ज़िन्दगी तबाह होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा और उसके रसूल की सख़्त नाराज़गी का बाइस बनता है जुऐ की एक आम राएज शक्ल मौजूदह ज़माने में लॉटरी है जिससे फाएदा उठाने के बहुत कम इम्कान के बिना पर बहुत से मुसलमान अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उसकी नज़्र कर देते हैं और वह खुद और उसके बीबी बच्चे ज़रूरियाते ज़िन्दगी को भी पूरा करने से क़ासिर रहते हैं।

इस तरह की ग़लत कारियां मुसलमान मिल्लत की ज़िन्दगी को घुन की तरह लगती जा रही हैं और ज़िन्दगियां तबाह कर रही हैं हमारे दाअ़ी हज़रात और जिनको खुदा ने ज़बान या क़लम की मुअ़स्सिर सलाहियतें अ़ता की हैं उनका फर्ज़ है कि वह आगे आयें और मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इन ख़ाराबियों को दूर करने की कोशिश करें। बोर्ड ने शरीअ़ते इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इन दोनों पहलुओं की फिक्र को इख़्तियार किया है कि इस्लामी शरीअ़त के अहकाम के सिलसिले में बाहर से किसी तब्दीली या मुदाख़लत की सूरत न पैदा होने दें और ये कि शरीअ़त के मानने वाले इस पर पूरी

शेष पृष्ठ.....23.... पर

मीरास (तर्का) की तक़सीम फर्ज़ है

—इम्तियाज़ अहमद नदवी

मुसलमान मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, उसने अपनी ज़िन्दगी में जो माल कमाया, इकट्ठा किया, किसी रिशतेदार से विरासत द्वारा उसकी मिलकियत में आ गया। वह माल चाहे सोना चांदी के रूप में हो या ज़मीन जायदाद के रूप में, बाग़ात हों या मकानात, नक़द रूपया घर में हो या बैंक में, हीरे जवाहिरात घर में हों या बैंक के लॉकर में, और शेएर खरीदने में जो पैसा लगा रखा हो। और घर गिरहस्ती का ऐसा तमाम सामान जिसकी बाज़ार में कीमत लग सकती हो। वह सब उसकी समपत्ति है। और उसमें से जो कुछ उसके मरने के वक़्त बचा रह गया। उस तामाम माल को शरीअत की ज़ुबान में मय्यत का तर्का कहा जाता है। ऐसे बचे माल को कुर्आन के अहकामात के मुताबिक़ वारिसों के बीच बांटना फर्ज़ है। कुर्आन का मुतालआ करने से मालूम होता है कि तर्का की तक़सीम को अल्लाह तआला ने नमाज़, रोज़ा, हज व ज़कात से भी ज़ियादा अहमियत दी है। अल्लाह तआला ने नमाज़, रोज़ा, हज व ज़कात के अहकामात को कुर्आन में मुजमल (संक्षिप्त) में बयान किया है। पांच वक्त की नमाज़ में कितनी रकातें फर्ज़ कितनी वाजिब कितनी सुन्नत व मुसतहब हैं, इसको कुर्आन में ब्यान नहीं किया गया। इसी तरह ज़कात के हुक्म को देखिए, सोने चांदी की ज़कात कैसे अदा की जायेगी, ज़मीन की पैदावार या तिजारती सामान या जनवरों में ज़कात का क्या हुक्म है इसकी कोई तफसील कुर्आन में दर्ज नहीं। इसी तरह रोज़ा व हज की तफसील भी कुर्आन में दर्ज नहीं। इन इबादात के तफसीली अहकामात बताने के लिए अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म फरमा दिया और आपने तमाम अहकामात अपने सहाबा को बता दिये और उनके अदा करने का तरीका भी सहाबा को सिखा दिया। और उन्होंने पूरी उम्मत को बता दिया और उनके अदा करने का तरीक़ा भी उम्मत को सिखा दिया।

लेकिन तर्का की तक़सीम के अहकामात तफ़सील से अल्लाह तआ़ला ने कुर्आन में ब्यान फरमाये। और बांटने का तरीक़ा बताने के लिए कुर्आन में एक सूरत (अन्निसा) नाज़िल फरमाई।

बेटे के तर्का में माँ व बाप का कितना हिस्सा है। बाप व माँ के तर्के में बेटी व बेटे का कितना हिस्सा है। और शौहर के तर्का में बीवी को या बीवी के तर्का में शौहर को कितना दिया जायेगा यह सारी तफ़सील अल्लाह तआ़ला ने कुर्आन में ज़िक्र फरमा दी है। लेकिन इस फर्ज़ की अदायगी में हम मुसलमान बहुत ज़ियादा लापरवाही कर रहे हैं। बल्कि यह कहना शायद

बेजा न होगा कि हम मुसलमानों ने माल की हविस में एक तरह से इस फर्ज़ को फर्ज़ होना ही कुबूल नहीं किया। अगर कुछ लोगों ने तवज्जह भी की तो सिर्फ यहां तक कि बाप के तर्के में बेटों के साथ बेटियों को भी हिस्सेदार मान रखा है। लेकिन अदाएगी नहीं की जाती।

बाप के तर्का में लड़का अपनी बहन और मां को उनका हिस्सा नहीं देता। बाप, बेटी को अपनी बीवी यानी बेटी की मां के तर्का में हिस्सा नहीं देता। बीवी के तर्का में से शौहर बीवी के मां व बाप को हिस्सा नहीं देता। और औरत का महर जिसको मर्द ने महर ए मोअज्जल (उधार महर) के रिवाज की वजह से औरत की मौत तक अदा नहीं किया, वह महर औरत के इन्तिक़ाल के बाद उसका तर्का बन जाता है, उसमें तक़सीम ए विरासत का तो समाज में कहीं ज़िक्र ही नहीं आता।

विरासत के मुसतहिक़्क़ीन (पात्र) का माल बिना इजाज़त खाना, इस्तेमाल करना हराम है। उसको बे दरेग़ (निःसंकोच) खाया जा रहा है। और जब कोई समझाने वाला बताता है तो यह मुसलमान कहता है कि हमारी बहन ने तो अपना हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। कोई कहता है कि बहन का हिस्सा उसकी शादी में बाप ने खर्च कर दिया, इसलिए अब उसका हिस्सा बाक़ी नहीं रहा। यह सोच अल्लाह व रसूल के हुक्म के खिलाफ है। और शैतान का बहकावा है। बहन की शादी में बाप कुछ खर्च करे या न करे, बाप की जायदाद से उसका हिस्सा बिना उसको मिले खत्म नहीं होता। बाप के इन्तिक़ाल के वक्त बाप की मिलकियत में जो कुछ था उसमें से बहन का हिस्सा अदा करना भाइयों पर फर्ज़ है।

नफ़्स व शैतान के धोके में कुछ मुसलमान वारसीन से उनका हिस्सा माफ़ कराने की भूल करते हैं ऐसा करना शरीअत–ए–इस्लामी की मंशा के खिलाफ है। हमेशा याद रखिये कि मर्दों को जिस तरह माल की इच्छा व चाहत है इसी तरह बहन, बेटी, माँ (औरत) को भी माल व दौलत की महब्बत व ज़रूरत है लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत सी ग़ैर इस्लामी और हिन्दू रीति व रिवाज का चलन है। इस समाजी दबाव की वजह से बहन अपने भाई से, बेटी अपने बाप से, माँ अपनी औलादों से और बीवी अपने शौहर से अपना हिस्सा मांगने से डरती है और अगर कोई ग़ैरतमन्द मुसलमान देने की कोशिश करता है तो बहन लेने से इन्कार कर देती है। क्योंकि बहन के ज़हन व दिमाग़ में हमेशा यह खतरा बना रहता है कि जिस दिन उसने भाई से माँ बाप के तर्का में हिस्सा मांगा, उसी दिन से भावज घर में क़दम न रखने देगी। और ज़िन्दगी में ही भाई से रिश्ता खत्म हो जायेगा। इसी तरह तलाक़ के खौफ से बीवी अपने शौहर से अपने मरहूम बेटे की जायदाद में अपना हिस्सा मांगने से डरती है। इस समाजी दबाव ने बहन, बेटी, माँ और बीवी को अपना

हिस्सा छोड़ देने पर मजबूर कर दिया है। खूब याद रखिये कि ऐसी सब मुआफियां इज़तिरारी, मज़बूरी और दबाव की हैं और जो भी माफी मजबूरी के कारण होगी वह अल्लाह के यहां कुबूल नहीं।

दुन्या से जाने वाले हर आदमी का तर्का हो सकता है, चाहे उसकी उमर एक ही दिन की हो। जैसे एक बच्चा/बच्ची पैदा हुई, उसके बाप या मां मालदार थे और उसकी पैदाइश के एक दिन बाद ही उनमें से किसी का इन्तिक़ाल हो गया। तो उनके तर्का में से उसको हिस्सा मिलेगा। मानो कि उसके बाप या मां के तर्का में से उसको पच्चीस हज़ार मिल गया और एक हफ्ता बाद उस बच्चा/बच्ची का इन्तिक़ाल हो गया तो उस बच्चा/बच्ची को मिला माल उसका तर्का होगा और उसके वारसीन के बीच बांटना फर्ज़ है। कुछ लोग अपनी ज़िन्दगी में ही अपना माल बांट देते हैं और समझते हैं कि मीरास तक़सीम हो गई, यह तक़सीम मीरास की इसतिलाह में नहीं बल्कि यह हदया, या दान कहलाता है। तर्का उस माल को कहा जाता है जिसको मौत के वक्त मरने वाले की मिलकियत कहा जाये।

तर्का में वारिसीन को उनका हक़ न देना किसी हक़दार का हिस्सा हड़प लेने जैसा है और ऐसे माल का खाना, इस्तेमाल में लाना हराम है। अल्लाह तआला हम सबको वारिसीन का माल खाने से बचाये और वारिसीन को उनका पूरा पूरा हिस्सा पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाये।

आमीन।

❖❖❖

आल इण्डिया मुस्लिम.....

तरह अमल करें इसी के लिए ज़रूरत पड़ने पर बोर्ड की तरफ से हस्बे ज़रूरत शरीअत का दिफाअ किया जाता है और शरीअत पर अमल कराने के लिए इस्लाहे मुआशरा के प्रोग्राम कराये जाते हैं ताकि मुसलमान ग़लत रस्मों और महज़ नामो नुमूद की खारित अल्लाह तआला के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिदायत को नज़र अंदाज़ करके अपने रब की नाराज़गी के मुस्तहिक़ न बनें और वह इस बात को भी समझें कि मुसलमान जब खुद अपनी इस्लामी शरीअत के अहकाम की खिलाफ़ वर्ज़ी करेंगे तो वह ग़ैरों से किस तरह कह सकते है कि हमारी शरीअत के मुआमले में सही रवय्या इख़्तियार किया जाए इसलिए इसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम शरीअत का तहफ़्फ़ुज खुद अपनी ज़िन्दगी में करें और दूसरों की तरफ से सिकी तब्दीली या रुकावट की होने वाली कोशिश से बचाऐं इस सिलसिले में उनको बोर्ड की कोशिशों में जो तआवुन कर सकते हैं वह तआवुन करना चाहिए हम जब इस्लामी मुआशरे को अमली तौर पर सही अहकाम के मुताबिक़ क़ायम करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने परवरदिगार की रज़ा जोई भी कर सकेंगे और दूसरों की नज़र में हम एक बा उसूल उम्मत की हैसियत से ज़ाहिर होंगे।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: कुर्बानी किस पर वाजिब है?

उत्तर: हर साहिबे निसाब अर्थात जो 612 ग्राम चाँदी का मालिक हो या 612 ग्राम चाँदी खरीदने के पैसे रखता हो उसपर कुर्बानी वाजिब है।

प्रश्न: क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है?

उत्तर: हाँ जो शख्स कुर्बानी के दिनों में अर्थात् 10 ज़िलहिज्ज से 12 ज़िलहिज्ज तक शरई सफर पर हो यानी लगभग 78 किलोमीटर के सफर पर हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं चाहे वह मालदार हो, अलबत्ता अगर शरई सफर पर हो मगर उन दिनों में कहीं 15 दिन या उससे ज़ियादा के क़ियाम पर हो (अर्थात वहां ठहरा हो) और साहिबे निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।

प्रश्न: क्या नाबालिग़ मालदार पर भी कुर्बानी वाजिब है?

उत्तर: नाबालिग़ मालदार पर कुर्बानी वाजिब नहीं।

प्रश्न: कुर्बानी कब से कब तक की जाती है?

उत्तर: कुर्बानी 10 ज़िलहिज्ज को बक़र ईद की नमाज़ के बाद से 12 ज़िलहिज्ज को सूरज डूबने से पहले तक करना जायज़ है। अलबत्ता 10 तारीख़ को ज़ियादा सवाब मिलेगा फिर 11 को फिर 12 को।

प्रश्न: क्या कुर्बानी के दिनों में रातों में कुर्बानी करना जायज़ है?

उत्तर: हाँ, कुर्बानी के दिनों में रातों में अर्थात 10—11 और 11—12 के बीच की रातों में कुर्बानी करना दुरुस्त है मगर बेहतर यही है कि दिन में कुर्बानी की जाए।

प्रश्न: क्या अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़ब्ह करना ज़रूरी है?

उत्तर: नहीं, अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करना ज़रूरी नहीं अलबत्ता अपने हाथ से करना बेहतर है दूसरे से भी ज़ब्ह करवा सकते हैं।

प्रश्न: कुर्बानी ज़ब्ह करने से पहले और बाद में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं क्या उनका पढ़ना ज़रूरी है?

उत्तर: कुर्बानी ज़ब्ह करने से पहले और बाद में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन पढ़ने में सवाब बहुत है इसलिए उनको छोड़ना अच्छा नहीं है। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि कुर्बानी की नीयत से ज़ब्ह करे और ज़ब्ह करते वक़्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े।

प्रश्न: अगर दुसरे की तरफ से ज़ब्ह कर रहा हो तो क्या नीयत करे?

उत्तर: जिसकी तरफ से ज़ब्ह कर रहा हो दिल में सोचे कि उसकी तरफ से ज़ब्ह कर रहा हूँ। चाहे तो उसका नाम ले ले कि फुलां की तरफ से ज़ब्ह कर रहा हूँ इसी प्रकार बड़े जानवर मे अगर कई हिस्से हों तो सबके नामों की तरफ से नीयत करके ज़ब्ह करे और बेहतर यह है कि

ज़ब्ह के बाद भी दुआ करे कि ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को फुलां–फुलां की तरफ़ से क़बूल फरमा।

प्रश्न: कुर्बानी के जानवर की क्या उम्र होनी चाहिए?

उत्तर: छोटा जानवर जैसे बकरा, भेंड़ वगैरह की उम्र एक साल होनी चाहिए और बड़ा जानवर जैसे भैंस, भैंसा की उम्र दो साल होना चाहिए, अगर बकरा भेंड़ वगैरह एक साल से कम या पड़वा, भैंस दो साल से कम का है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त न होगी अगर जानवर नई उम्र का हो तो उसके दाँत देखना चाहिए अगर दाँता है तो उसकी उम्र पूरी है, अगर दाँता नहीं है मगर यक़ीन से मालूम है कि उसकी उम्र पूरी है तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी।

प्रश्न: क्या अंधे या एक आँख वाले सेहतमन्द जानवर की कुर्बानी दुरूस्त है?

उत्तर: जो जानवर अन्धा हो या उसकी एक आँख बिलकुल न हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं।

प्रश्न: ख़स्सी यानी बधिया जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर: ख़स्सी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है।

प्रश्न: अंडू जानवर (जो बधिया न हो) की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर: अंडू (गैर ख़स्सी) जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है।

प्रश्न: कुर्बानी के गोश्त की तक़सीम का क्या हुक्म है?

उत्तर: बेहतर यह है कि एक तिहाई गोश्त गरीबों में बाँटा जाये और एक तिहाई रिश्तेदारों में बाकी घर के लोग खाएं लेकिन अगर घर में खाने वाले ज़ियादा हैं और पूरा गोश्त खा लें तक़सीम न करें तो कोई गुनाह न होगा।

प्रश्न: कुर्बानी की खाल का क्या हुक्म है?

उत्तर: कुर्बानी की खाल अपने काम में ला सकते हैं जैसे झोला (थैला) बना लें या मुसल्ला बना लें वग़ैरह लेकिन अगर खाल बेची जाए तो उसकी क़ीमत, ज़कात के मुस्तहिक़ मुसलमानों का हक़ है, ऐसे दीनी मदरसों में भी खाल या उसकी क़ीमत दी जा सकती है जहाँ ज़कात के मुस्तहिक़ तलबा पढ़ते हों।

प्रश्न: अगर किसी वफ़ात पाये हुए शख़्स की तरफ से कुर्बानी की जाये तो उस कुर्बानी के गोश्त का क्या हुक्म है?

उत्तर: अगर किसी ने किसी वफ़ात पाये हुए शख्स की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का हुक्म वही है जो अपनी कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है।

प्रश्न: अगर कोई बाहर हो और उसका अज़ीज़ उसके हुक्म के बिना उसकी तरफ से कुर्बानी कर दे तो कुर्बानी हो जायेगी या नहीं?

उत्तर: अगर कोई शख़्स यहाँ मौजूद नहीं है कहीं दूर है और उस पर कुर्बानी वाजिब है तो उसके हुक्म के बगैर अगर किसी अज़ीज़ ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो उसका वाजिब अदा न होगा यह मसला बड़ा नाजुक है। किताबों में लिखा है कि अगर उसकी इजाज़त या

हुक्म के बग़ैर किसी अज़ीज ने किसी बड़े जानवर में उसका हिस्सा लेकर ज़ब्ह कर दिया तो किसी की भी कुर्बानी न होगी। लिहाज़ा चाहिए कि जो बाहर हो और उस पर कुर्बानी वाजिब हो वह अपने अज़ीज़ से कुर्बानी करवाना चाहता हो तो फोन या ख़त से अपने अज़ीज़ से कहे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए।

प्रश्न: कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं?

उत्तर: कुर्बानी का गोश्त हदीया (उपहार) के तौर पर गैर मुस्लिम को देना जायज़ है।

प्रश्न: कुर्बानी ज़ब्ह करने से पहले और बाद में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं?

उत्तर: कुर्बानी ज़ब्ह करने से पहले और बाद में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वह अरबी में हैं, हिन्दी में अरबी लिखना फिर उसका पढ़ना दोनों कठिन हैं इसलिए वह दुआएं किसी उर्दू किताब में देख ली जाएं। अगर वह दुआएं न पढ़ी जा सकें तो उनके पढ़ने का सवाब न मिलेगा लेकिन कुर्बानी दुरुस्त रहेगी।

प्रश्न: मैंने पिछले वर्ष देखा एक हज्जिन जिन की आयु 50 वर्ष के लगभग होगी उनके हज से वापस होने पर लोग उनसे मिलने पहुंचे तो उनसे ऐसे लोग भी हाथ मिला रहे थे जो उनके ना महरम थे क्या किसी हज्जिन से ना महरमों का हाथ मिलाना जाइज़ है?

उत्तर: किसी औरत से उसके ना महरम का हाथ मिलाना किसी हाल में जाइज नहीं चाहे वह हज करके आई हो या कोई और बड़ा नेक काम किया हो।

किसी औरत के महरम यह हैं: बाप, भाई, भाई के लड़के बहन के लड़के अपनी औलाद अपने शौहर की औलाद जो उसकी दूसरी बीवियों से हों अपने पोते और नवासे ख़ास चचा, मामूं, शौहर तो निकाह से अपना हो ही चुका है बाकी दूसरे सब मर्द ना महरम हैं।

❖❖❖

दुआ और मेहनत

—इदारा

काम में मेहनत करो और साथ में रब से दुआ
ज़ख़्म में मेहनत के देखो, भूल ना जाओ दुआ
गर दुआ करते रहे और खेत बोया है नहीं
फस्ल काटोगे नहीं चाहे करो कितनी दुआ

संस्था का कवि से सहमत होना आवश्यक नहीं है

पुरूष का हक़ महिला को

(राशन कार्ड योजना)

—अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी

मुखिया की खड़ी खटिया, घटिया है योजना।
महिला जो बनी मुखिया, घटिया है योजना।।
महिला को तो उठा के, सर पे चढ़ा दिया।
पुरूषों की घटी महिमा, कैसी है योजना।।
परिवार रहा अब तक, पुरूषों के हवाले।
महिला पे बोझ लद गया, कैसी है योजना।।
महिलायें परेशान हैं, घर के ही काम से।
अतिरिक्त बोझ लद गया, कैसी है योजना।।
परिवार की मुखिया कल, जायदाद की मुखिया।
कर देगी बेदखल ये, कैसी है योजना।।
अधिकार छिन गया है, हावी अनाधिकार।
परिणाम होंगे घातक, कैसी है योजना।।
घर की है राजरानी, सबके भरेगी पानी।
हो जायेगी मनमानी, कैसी है योजना।।
सिद्दीक़ी परेशान है, पुरूषों को जगाता है।
पुरूषों का हक छिना है, कैसी है योजना।।

प्रकोप अथवा परीक्षा (सजा या इम्तिहान)

—इदारा

निःसन्देह गुनाहों पर इस संसार में सज़ा मिलती है और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी, पवित्र कुर्आन में आया है "और हम उन नाफरमानों को इस संसार में दण्ड अवश्य देंगे यह दण्ड उस बड़े प्रकोप से अलग होगा शायद यह लोग (सांसारिक) दण्ड से बाज आयें और पाप छोड़ दें। (देखिए सू–रए–सजदह की आयत नं0 21)

दण्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे, बीमारी, एक्सीडेण्ट, ओला वृष्टि, बाढ़ भूचाल आदि। फिर जब पापी होशियार हो कर तौबा कर लेता है और अल्लाह की इताअत (आज्ञापालन) करने लगता है तो बड़े अज़ाब (प्रकोप) से बचा दिया जाता है परन्तु जब वह नाफरमानी पर डटा रहता है और उसी पर उसको मौत आ जाती है तो जहन्नम का भागी हो जाता है। कभी ईमान वाले इंसान से पाप हो जाते हैं और वह अपनी अचेतना (ग़फलत) से तौबा व इस्तिग़फार (पश्चाताप तथा क्षमायाचना) नहीं कर पाता है और अल्लाह का फैसला होता है कि उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा कर इसी दुन्या में उसके पापों की सज़ा दे कर उसको पाक करदे इस सूरत में भी आपत्तियां आती हैं, इस सूरत में कभी ग़ाफिल (अचेत) चौकन्ना हो जाता है और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है इससे उसके गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं और आपत्तियों पर सवाब भी मिल जाता है।

कभी मोमिन की परीक्षा होती है और उस पर आपत्तियाँ आती हैं जैसा कि पवित्र कुर्आन में आया है कि "क्या लोगों ने समझ रखा है कि वह ईमान का एलान करें, इक़रार करें और वह जाँचें न जाएँ" (अल अनकबूतः 2) दूसरी जगह आया है "हम तुमको अवश्य ही जाँचेंगे कुछ भय से भूख से तथा जान, माल और फलों की हानि से, और ऐ नबी! शुभ सूचना दे दीजिए (आपत्तियों पर) संतोष करने वालों को जब उन पर कोई आपत्ति आती है तो वह कह उठते हैं कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की दया और कृपा है और यही लोग सत्यमार्ग वाले हैं" (देखिए सू–रए–बक़रह की आयत नं0 155–157)

इन बातों से ज्ञात हुआ कि आपत्तियाँ कभी दण्ड के रूप में आती हैं तो कभी परीक्षा के रूप में। यदि मनुष्य ईमान वाला है सत्यमार्ग पर है तो उसकी आपत्तियाँ या तो उसको सचेत करने के लिए आती हैं या उसकी परीक्षा होती है और उसका स्थान अल्लाह के निकट ऊँचा करने और अल्लाह का अति प्रिय बनाने के लिए आती हैं।

कुछ लोग जो यह कहते हैं कि नेक बनो नेकियाँ करो आपत्तियों से सुरक्षित रहोगे वह परीक्षा वाली आपत्तियों को भूल जाते हैं उनको चाहिए कि

कहें नेकियाँ करो नेक बनो इससे समाज में शान्ति आएगी और इंशाअल्लाह आपत्तियों से सुरक्षित भी रहेंगे। यह भी हो सकता है कि आपत्तियाँ आयें उनसे कठिनाइयों के झेलने का साहस मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में (परलोक में) अल्लाह तआला के पुरस्कारों के भागी होंगे।

❖❖❖

हिन्दुस्तानी मुसलमान.....

इस पवित्र विषय पर रचनाएं एवं उनके संकलन तथा अनुसंधान एवं अन्वेषण का कार्य अब भी चल रहा है और यहां इस विषय में प्रवीण कुछ ऐसे विद्वान पाये जाते हैं जिनकी नज़ीर भारत वर्ष के बाहर मिलना कठिन है।

मुसलमानों की पाँचवीं विशेषता विश्वव्यापी इस्लामी बिरादरी से सम्पर्क एवं सम्बन्ध और उसकी समस्याओं के प्रति अभिरुचि–

मुसलमानों की पाँचवीं सामूहिक विशेषता, जिसका समझना और उस पर विचार करना यथार्थवाद का लक्षण है, कि वह अपने को एक विश्वव्यापी समाज का अंग और अपने धर्म (दीन) को सार्वभौमिक तथा विश्वव्यापी धर्म समझते हैं वह अपने इस देश से (जहाँ के वे निवासी हैं) स्नेह एवं प्रेम, शुभकांक्षा एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण भक्ति भाव तथा उसके निर्माण एवं प्रगति में सक्रिय भाग लेने के साथ अपने को उस अन्तर्राष्ट्रीय कुटुम्ब का एक सदस्य या उस अन्तर्राष्ट्रीय समाज का एक कुटुम्ब समझते हैं, सामान्य इस्लामी प्रसंगों मे रुचि लेने दूसरे मुस्लिम देशों कें संकटों, विपत्तियों तथा समस्याओं से प्रभावित होने, संभाव्य एवं वैधानिक सीमाओं के अन्दर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने तथा नैतिक सहायता प्रदान करने को देश प्रेम तथा राष्ट्र भक्ति के विरुद्ध नहीं समझते, अपितु धर्म, मानवता, प्रकृति एवं न्याय के अनुकूल समझते हैं और इसको देश के लिए लाभप्रद तथा उसकी सुदृढ़ता के प्रति योगदान समझते हैं। हिन्दुस्तानी मुसलमान इस भाव को व्यक्त करने में सदैव तत्पर रहे हैं उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम से पूर्व ख़िलाफ़त के प्रश्न का जिस प्रबल रूप से समर्थन किया, और "खिलाफ़त कमेटी" की स्थापना करके जिस तरह उन्होंने समस्त देश तथा स्वयं हिन्दुस्तान के सर्वोच्च नेता गाँधी जी को सहयोग प्रदान किया और अली बिरादरान, मौलाना आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी तथा उनके साथियों ने जिस तरह समस्त देश के जीवन में एक लहर उत्पन्न कर नवीन चेतना भर दी उसके देखने वाले अभी पाये जाते हैं। फ़िलिस्तीन की समस्या के प्रति उन्होंने अपनी असीम रुचि का प्रदर्शन किया, या धार्मिक (मिल्ली) प्रवृत्ति और उनकी शिक्षा एवं इतिहास की स्वाभाविक आवश्यकता (तकाज़ा) है और उनके बारे में कोई मत निर्धारित करते या कोई कार्यविधि निश्चित करने से पूर्व उनकी इस स्वाभाविक विशेषता का अध्ययन करना अति आवश्यक है।

योगा व्यायाम

—इदारा

मैं बचपन से व्यायाम प्रेमी रहा, मेरे पिता जी मुझे व्यायाम का आदेश देते थे, मेरे गाँव के बच्चों तथा नव युवकों में व्यायाम का चलन था, परन्तु यह व्यायाम जब खेती का काम ज़ोर पकड़ता तो रुक जाता था, इस व्यायाम में डण्ड, बैठक लगाना था, कुछ नवयुवक चकर गिन्नी भी लगाते, कुश्ती होती, अलबत्ता कुश्ती के दांव जानने वाले हर एक को दांव न सिखाते मगर युवक कुश्ती लड़ने वालों को देख कर दांव ग्रहण कर लिया करते। फरी गतका और लाठी का भी चलन था, दांव भी निपुण लोग अपनों ही को बताते थे। परन्तु इस पूरे व्यायाम में सूर्य, या हनुमान या किसी और देवता का नाम न आता, अलबत्ता व्यायाम के आरम्भ में या कुश्ती के आरंभ में कुछ मुस्लिम नव युवक बिस्मिल्लाह पढ़ कर अलमदद रब कहते, इसी प्रकार कुछ हिन्दू नव युवक जय हनुमान बोलते, मुझे खूब याद है, बड़े लोग हिन्दू हों या मुसलमान, मुसलमान लड़कों को सिखाते कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर व्यायाम आरम्भ करो, इसी प्रकार हिन्दू नवयुवकों को शिक्षा दी जाती कि जय हनुमान बोल लिया करो लेकिन इन बोलों को छोड़ने पर कभी कोई किसी को टोकता न था, मुझे खूब याद है कि एक मुस्लिम लड़के ने जय हनुमान कह कर व्यायाम आरम्भ किया तो अखाड़े के हिन्दू उस्ताद ने उसे टोका और कहा मुसलमान जय हनुमान नहीं कहते बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ो, मुस्लिम लड़के ने तुरन्त बिस्मिल्लाह पढ़ी।

अब तो लोग बैठक लगाना भी नहीं जानते बैठक लगाने में सीधे खड़ा हुआ जाता है फिर उछल कर दोनों पैरों में दो फिट का अंतर किया जाता, फिर उछल कर दोनों पाँव पास पास ला कर दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बाँध कर दोनों हाथ अपनी ओर मोड़ कर बैठ कर तुरंत खड़े होते यह एक बैठक हुई, लेकिन खड़े होते ही फिर पहले की प्रकार उछल कर पैरों में अंतर करके फिर उछल कर पैर इकट्ठा करके बैठक लगाते इस प्रकार बैठक लगाने वाला कम से कम 100 बैठकें लगाता, हमारे कुछ साथी 200 बैठक लगाते, इसी प्रकार डण्ड़ में जमीन पर पेट के बल इस प्रकार हो जाते कि जमीन पर पैरों के दोनों पंजे और हाथ की दोनों हथेलियां होतीं, फिर ऊपरी बदन को पीछे की ओर खींच कर सीना जमीन की ओर झुकाते और आगे की ओर ले जाते, डण्ड़ का व्यायाम बैठक से कठिन है, कुछ लोग तो बीस ही डण्ड़ लगा पाते परन्तु कुछ अभ्यास बढ़ा कर सौ डण्ड़ लगाते डण्ड़ बैठक दोनों से फेफड़ों की

अच्छी वरज़िश हो जाती है, घुटने, रान और पंजे खूब मजबूत होते, भुजाओं की मांस पेशियां भर जातीं सीना चौड़ा हो जाता, मेहनत के कामों में सांस न फूलती, खुराक़ बढ़ जाती, न गैस की शिकायत न कब्ज़ की।

स्कूलों में व्यायाम का बड़ा खयाल रखा जाता वहां पी0टी0 का एक घण्टा होता। पी0टी0 में काशन पर बच्चों को एक साथ पी0टी0 की हरकतें करते देखते ही बनता था, कबड्डी, फुटबाल, वालीबाल जैसे खेलों से भी व्यायाम कराया जाता, लम्बी कूद, ऊँची कूद, लम्बी दौड़, तेज दौड़ की प्रतियोगिताएं कराई जातीं, मैं तेज़ दौड़ में सदैव हारता और लम्बी दौड़ में सदैव जीत ता था।

खूब याद है हमारे गाँव से 3 कि0मी0 दूरी पर एक गाँव है, वहां के कुछ लड़के मेरे साथ पढ़ते थे, 1947 की बात है वहां एक सज्जन ने हिन्दी में एम0ए0 किया था उनको लखनऊ के किसी कालेज में लेक्चरर की जगह मिल गई थी वह जून की छुट्टियों में घर आए उनके पड़ोस में मेरा एक सहपाठी राजा राम पासी था, वह भी वर्जिश बराबर करता था और हर प्रकार स्वस्थ था, एम0ए0 मास्टर ने उसे सुब्ह के समय बुलाया और एक बाग़ में ले गये, वहां उन्होंने कुछ आसनों का अभ्यास किया और राजाराम को भी आसन सिखा कर रोजाना आसन करते रहे, राजाराम ने मुझे बताया कि मुझे वह आसन अच्छे लगे परन्तु मुझे लगा कि यह आसन अमीरों के चोंचले हैं जो लाभ हमारे डण्ड़ बैठक और दौड़ लगाने में है वह इन आसनों में नही, उसने बताया कि मैंने मास्टर जी से कहा आइये मेरे साथ दौड़ लगाइये, वह तैयार हो गये और दौड़े भी मगर 100 कदमों के पश्चात हांपने लगे और दौड़ रोक दी, मैं पूरे 30 मिनटों तक दौड़ते हुए बाग के चक्कर लगाता रहा, उस बाग में एक पेड़ गिर गया था, उसकी एक मोटी शाख पड़ी थी, मैंने मास्टर जी से कहा इसको उठाइये मास्टर जी उसका एक सिरा भी उठा न सके वह बाग़ मास्टर जी ही का था, वह शाख मास्टर जी की थी राजा राम ने वह शाखा अपने कन्धों पर उठा कर अपने घर की ओर चल दिया, मास्टर जी ने कहा इसको मेरे घर पहुंचा दो, राजा राम बोला क्या अब भी मैं इस शाखा का हक़दार नहीं हुआ मास्टर जी मुस्कुराए और बोले अच्छा तुम इसे ले लो। राजा राम वह शाखा अपने घर ले आया।

किसानों और मज़दूरों का व्यायाम–

1948 ई0 में मिडिल पास करने के पश्चात वालिद साहिब ने शिक्षा रोक दी और खेती के कामों पर लगा दिया, साथियों को दुख हुआ मगर मुझ पर कुछ असर न हुआ, खुशी खुशी खेती के कामों पर लग गया, अलबत्ता शाम को दरवाजे पर लालटेन के उजाले में अनपढ़ों को उर्दू हिन्दी मुफ्त पढ़ाने का

सिलसिला जारी रखा यह काम सात वर्षों तक लगातार चला, जब खेती का काम बढ़ जाता तो शाम की शिक्षा रुक जाती, इन सात वर्षों में मुझे वह अनुभव हुआ कि किसानों और श्रमिकों को अलग से व्यायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं मैं केवल अपनी ड्यूटी बता रहा हूँ जिससे समझ में आ जायेगा कि किसानों का अपना काम ही व्यायाम है। मेरे पास दो बैल थे, एक भैंस, एक घोड़ी यह चार जानवर बराबर रहते कभी एक दो जानवर बढ़ भी जाते, 1948 ई0 तक मेरे गांव में चारा काटने की मशीन किसी घर में न थी जानवरों के लिए गंड़ासे से चारा काटा जाता यानी कुट्टी बनाई जाती, आप सोच सकते हैं कि इन चार जानवरों का चारा काटने में कितना वक्त लगता होगा, मैं तीन किस्तों में उन का चारा तैयार करता, पिछले वक्त चारा तैयार करता, दोपहर में और मगरिब बाद चिराग़ जलाकर, क्या हाथों की वर्जिश के लिए इससे जियादा अभ्यास की आवश्यकता है? फिर सुब्ह से दोपहर तक और ज़ुह्र से मग़रिब के कुछ पहले तक खेतों में हल चलाता, कुदाल चलाता, फावड़ा चलाता आदि क्या इस मेंहनत के बाद भी किसी व्यायाम की ज़रूरत थी? यह काम मेरा ही नहीं गांव के तमाम किसानों का था, मजदूर जो दूसरे के खेतों में आठ घण्टे मेहनत करता, फिर सुब्ह शाम अपनी रोटी सेंकने का प्रयत्न करता क्या इसके पश्चात भी उसे किसी व्यायाम की आवश्यकता थी या है? कदापि नहीं। किसान का रोज़ मर्रा का काम, मजदूर की रोजाना की मेहनत ही उनका व्यायाम था और है।

1955 ई0 में एक उस्ताद के परामर्श से एक दीनी मकतब में टीचिंग का काम शुरु किया और फिर इसी व्यवसाय में जीवन बिता दिया।

1960 तक यह सेवा देहात के मकतब में रही जहां मैं बराबर रोज़ाना व्यायाम करता था बच्चों से पी0टी0 के अतिरिक्त दौड़ लगवाता, 1960 ई0 में लखनऊ नदवा आ गया, जूनियर सेक्शन की जिम्मेदारी रही, यहां मैं बच्चों से रोज पी0टी0 कराता था और दौड़ भी लगवाता, बच्चे फुटपात आदि पर दौड़ते परन्तु मेरा व्यायाम छूट गया जिसका मुझे भुगतान भुगतना पड़ा मैंने हमदर्द की किताब "देहाती मुआलिज" में फेफड़ों, मेदे और आँतों की वर्जिश सांस द्वारा पढ़ी उसको मैंने बच्चों में खूब फैलाया विशेष कर नव युवकों में। एक बुक फेयर में योगा के व्यायाम पर एक पुस्तक देखी उसको ला कर पढ़ा उसके कुछ व्यायाम तो मुझे पसंद आए परन्तु, 2 लीटर पानी पी कर उल्टी करना, एक मीटर कपड़े की पट्टी निगल कर उगलना, गर्मपानी से एनीमा लेना जैसे

अभ्यास खतरनाक लगे।

इधर कुछ महीनों से शासन की ओर से योगा का प्रोपेगण्डा सुन कर पहले तो उसकी ओर झुकाव हुआ परन्तु जल्द ही जब यह ज्ञात हुआ कि इस योगा में सूर्य नमस्कार और ओम जैसे मंच इस्लामी विश्वास को बिगाड़ने वाली मशकें हैं तो पहले तो खयाल हुआ कि चूंकि हिन्दू कौम शिर्क को बुरा नहीं मानती इसलिए उसने अपनी सादा लौही से योगा में सूर्य नमस्कार को मिला दिया है। लेकिन इसका वास्तविक कारण यह है कि हिन्दू धर्म में शिर्क यानी किसी को ईशगुणों से सम्मानित करना कोई पाप ही नहीं है। मैं 21 जून को योगा का प्रोग्राम रेडियो से सुन रहा था आरम्भिक भाषण में पहले एक सज्जन ने अपनी बात आरम्भ की मंच पर बैठे लोगों का नाम लेने में हर एक के नाम से पहले आदरणीय कहा, परन्तु जब हमारे प्रधान मंत्री जी बोले तो पूज्य राम देव जी, पूज्य फुलां, पूज्य फुलां कहा उनके निकट किसी को पूज्य कहना उनको बड़ा सम्मान देना है। जबकि इस्लाम में ईश्वर के सिवा किसी को पूज्य कहना महा पाप है वह सूर्य को नमस्कार करते हैं उनके लिए इसमें कोई बुराई नहीं है जब कि इस्लाम में ईश्वर (अल्लाह) के अतिरिक्त किसी और को प्रणाम करना उसे नमस्कार या उन्हें नमस्ते कहना या उसे पूज्य कहना ऐसा पाप है कि मरने के पश्चात उसे क़ब्र में बड़ा दुख झेलना पड़ेगा और कियामत के पश्चात उसका ठिकाना जहन्नम होगा जिस में यातनायें और भांति भांति प्रकार के कठोर यातनाएं हैं। यह बात ईश्वर के अन्तिम दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज्ञात हुई हैं जहन्नम में मौत नहीं बस दुख ही दुख है।

अब आप सोचें कि एक मुसलमान इस सत्य विश्वास के पश्चात सूर्य नमस्कार कैसे कर सकता है, तथा ओम कैसे पढ़ सकता है, वास्तव में बात कुछ और ही है हमारी केन्द्रीय सरकार के परिवार में कुछ सदस्य आर0एस0एस0 के हैं जिनको इस्लाम और मुसलमानों से प्राकृतिक बैर है, वही सरकार को हानि पहुंचाने वाले कार्य पर उभारते रहते हैं, योग दिवस और उसमें सूर्य नमस्कार तथा ओम मंत्र का उपद्रव उन्हीं का उठाया हुआ है अन्यथा व्यायाम जो व्यक्तिगत जीवन का कार्य है उसको शासन से जोड़ने की क्या आवश्यकता? इतिहास के पन्ने उलटिये कभी किसी शासक ने जनता को व्यायाम तथा योग पर कभी भी उभारने का काम न किया, आर0एस0एस0 ने चाहा कि इस प्रकार अगर मुसलमान सूर्य नमस्कार को स्वीकार करेंगे तो उनका धर्म नष्ट होगा, विरोध करेंगे तो उनके विरोध में वातावरण विकृत होगा दोनों तरह उनकी बन आएगी, लेकिन हमारे धार्मिक विद्वानों ने 21 जून से पहले ही इसको भांप

लिया था विशेष कर आलइण्डिया मुस्लिम प्रसनल लॉ बोर्ड ने पहले ही मुसलमानों को सचेत कर दिया था, और बोर्ड कानूनी लड़ाई के लिए न्यायालय से सम्पर्क किये हुए है, मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए और उनको वन्दे मातरम या सूर्य नमस्कार करके और ओम पढ़ के अपना ईमान न खराब करना चाहिए।

अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुसलमान होशियार हो चुके हैं और वह इन शिर्किया कामों से दूर हैं रही यह बात की योगा से कैंसर, सूगर, घुटनों की पीड़ा, पुराने कब्ज दूर होते हैं तो यह प्रोपेगण्डा है, यह सच है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जोकि व्यायाम करता रहे चाहे वह योगासन हो या दौड़ अथवा तैराकी हो परन्तु जब कोई व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो जाता है तो वह किसी व्यायाम से स्वस्थ नहीं होता यदि व्यायाम से घुटनों की पीड़ा जाती तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी बाजपेई जी घुटने न बदलवाते, यदि व्यायाम से कैंसर ठीक होता तो कैंसर के आप्रेशन के लिए धनवान लोग विदेश न जाते, यदि व्यायाम से सूगर का रोग ठीक होता तो देश में जो लोग सूगर से पीड़ित हैं आराम पा जाते। हाँ आरम्भिक सूगर में यदि रोगी व्यायाम करता रहे तो उसे आराम अवश्य मिलेगा परन्तु जाएगा नहीं इसी प्रकार पुराना कब्ज़ और पुराना गैस योगासन से ठीक न हो सकेंगे मैं खुद पुराने कब्ज़ और पुराने गैस का मरीज़ हूं ऊँचे डाक्टरों से इलाज कराया, उनके बताये हुए व्यायाम अपनाये, कुछ भी लाभ न हुआ तथा कब्ज़ गैस जीवन साथी बन गये। मैं पीछे कह चुका हूं कि जब से मैंने व्यायाम छोड़ा तो जल्द ही इन रोगों ने आ घेरा मैं समझा की मामूली बात है परन्तु बाद में मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की।

❖❖❖

शुहदा ज़िन्दा हैं

—इदारा

मत कहो शुहदा को मुर्दा, हैं वह ज़िन्दा बिलयक़ीं
ज़िन्दग़ी कैसी है उनकी, हम समझ सकते नहीं
फ़ज़्ले रब से खुल गया है जिस पे शुहदा का मक़ाम
चाहता है वह शहादत, उन पे रोता है नही।

ज़लज़ला का पैग़ाम

—अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी

अल्लाह के क़हर की निशानी है ज़लज़ला।
सुन लो ये क़यामत की निशानी है ज़लज़ला।।
इस हादसे को कोई मामूली न समझे।
अल्लाह के गजब की निशानी है ज़लज़ला।।
ताकत पे अपने कोई फूले नहीं भाई।
अल्लाह के ताक़त की निशानी है ज़लज़ला।।
अल्लाह के नबी ने पहले से खबर दे दी।
बदकारी के बढ़ने की निशानी है ज़लज़ला।।
अल्लाह का एक नाम तो कह्हार भी सुन लो।
कह्हार की सिफत की निशानी है ज़लज़ला।।
ऐ दुनिया के लोगो तुम तौबा करो खुदा से।
बंदों के ये इबरत की, निशानी है ज़लज़ला।।
बंदे बुरे भले सब कश्ती सवार हैं।
तब्लीग न करने की निशानी है ज़लज़ला।।
तौबा करो नमाज़ पढ़ो बा अमल बनो।
इन्सान की इबरत की निशानी है ज़लज़ला।।
ये जिन्दगी के झटके आगाह कर रहे हैं।
बंदों के जगाने की निशानी है ज़लज़ला।।
सिद्दीक़ी तौबा करता है अल्लाह मॉफ कर दे।
उम्मत के गुनाहों की निशानी है ज़लज़ला।।

बारह साला मुस्लिम बच्ची बनी गीता चैम्पियन

—इं0 जावेद इक़बाल

इससे पहले कि आज के मुख्य विषय पर कुछ चर्चा की जाये मुनासिब मालूम होता है कि कुरआन पाक की कुछ आयतों का मफ़हूम अपने ज़हन में ताज़ा करते चलें।

कुरआन पाक में कई जगहों पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि इस कुर्आन का ज़िक्र पिछले पैग़म्बरों की किताबों में भी है जैसे सूरः शोअरा आयत नं0 196 (26:196) में कहा गया है—

"इस (कुर्आन) का उल्लेख आदि कालीन ग्रंथों में भी है" हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करके सूरः हा मीम, सजदा में कहा गया है कि "आप को वही बातें कही जाती हैं जो आप से पहले के पैगम्बरों को कही गई थीं..... (41:43) इस आयत से स्पष्ट हो रहा है कि अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले भी दुन्या में अनेक नबी, रसूल, सन्देष्टा भेजे और सभी के माध्यम से अल्लाह ने अपने बन्दों को केवल अपनी भक्ति—इबादत का पैग़ाम सुनाया। जैसा कि सूरः अलअम्बिया में फ़रमाया गया है कि "हमने (ऐ मुहम्मद) आपसे पहले भी कोई ऐसा सन्देशी नहीं भेजा कि जिसको यह सन्देश न सुनाया हो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई और पूज्य नहीं है सो मेरी ही बन्दगी करो" (21:25)

कुर्आन पाक के अलावा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों से भी हमें पता चलता है कि दुन्या के हर क्षेत्र और हर ज़माने में जहां कहीं भी इंसानी आबादी थी वहां वहां अल्लाह ने अपने नबी—रसूल इंसानों की रहनुमाई (मार्गदर्शन) के लिए ज़रूर भेजे और इनकी कुल संख्या लगभग सवा लाख है।

ऊपर लिखी हक़ीकतों को ध्यान में रखने और ज़हन में ताज़ा करने के बाद अब हम अपने आजके विषय पर आते हैं वर्तमान में हिन्दू मज़हब की तालीमात को मुल्क़ भर में फैलाने की तरह तरह से कोशिशें की जा रही हैं। हिन्दुत्ववादी कट्टर जमाअतें सीधे हमला करती है और गीता को "राष्ट्रीय ग्रंथ" घोषित करने का मुतालबा करती हैं वे संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहती हैं, देवमालाई आस्थाओं और काल्पनिक हस्तियों को ईश्वर के रूप में ज़हन नशीं कराना चाहती है। उदारवादी और सैक्यूलर चेहरे वाले संगठन ज़रा सावधानी से काम करते हैं और श्रीमद भगवद गीता की तालीमात पर बच्चों की लिखित प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। फिर किसी मुस्लिम बच्चे या बच्ची को प्रथम पुरूस्कार से नवाज़ कर देश भर में उसका प्रचार करते हैं। उनका मक़सद

साफ़ है वे हिकमत से मुसलमानों को तरग़ीब दे रहे हैं कि हमारे तुम्हारे धर्म में कोई अन्तर नहीं है, सभी धर्म एक हैं।

दरअस्ल श्री कृष्ण की तालीमात को दुन्या भर में आम करने के मक़सद से बनी ISKCON नामी संस्था ने देश के मासूम बच्चों के लिए एक लिखित मुकाबले का आयोजन किया था जिसका मुख्य विषय श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता की तालीमात का प्रचार करना था। सम्भवतः किसी ख़ास मंसूबे के तहत 12 वर्षीय एक मुस्लिम बच्ची मरियम सिद्दीक़ी को प्रथम पुरस्कार रू0 11 लाख दिया गया। यह बच्ची मुंबई की रहने वाली है लिहाज़ा उसके सम्मान में कानपुर नगर में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। इस सभा में बोलते हुए उस बच्ची ने कहा कि गीता की तालीमात क़ुरआन से मिलती जुलती हैं, मानवता उनका मुख्य विषय है और मानव धर्म ही मुख्य धर्म है जिसके अनुसार हमें अमल करना चाहिए इस तरह हम सब एक ही है।

इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत के लिहाज़ से नैतिक शिक्षाओं के आधार पर और एक आदम की औलाद होने की बुन्याद पर हम सब एक हैं, मगर चिन्ता का विषय यह है कि बच्चों के ज़हनों में अक़ायद से मुताल्लिक़ जब इस क़िस्म की ग़लत सलत बातें डाली जायेंगी और उनका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जायेगा तो आगे चल कर क्या नतीजा निकलेगा, हम अगर समझदार हैं तो बआसानी समझ सकते हैं।

यह तो कट्टर हिन्दुत्ववादी और सैक्युलर चेहरे वालों की बात थी, किसी न किसी दर्जे में यह उन का हक़ है कि वे अपनी आस्थाओं का प्रचार करें। मगर इससे आगे बढ़ कर बड़ी चिन्ता तब होती है जब हमारी अपनी सफ़ों के बड़े और महान कवि और दार्शनिक, गीता और रामायण इत्यादि का उर्दू तर्जुमा पेश करके वाह वाही लूटते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। उर्दू तर्जुमा पेश करना कोई बुराई नहीं, यह एक क़ाबिले तारीफ़ काम है मगर तब, जब कि उसे क़ुरआन की रोशनी में समझा जाये और उस (ग्रंथ) में पोशीदा हक़ीक़ी पैग़ाम की वज़ाहत की जाये।

मज़मून के शुरू में पेशकर्दा क़ुरआनी आयतों और उन जैसी दीगर आयतों की रोशनी में जब यह मुमकिन है कि गीता आसमानी किताब या सहीफ़ों का हिस्सा हो सकती है या श्री कृष्ण के उपदेशों का मजमुआ हो सकती है और श्री कृष्ण ख़ुदा के भेजे हुए नबियों में से कोई एक हो सकते हैं तो फिर हमें गीता और कृष्णा के जीवन का अध्ययन करते समय क़ुरआन के उसूलों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। मन माने ढंग से पंडितों और शंकराचार्यों के द्वारा किये

गए तर्जुमों को आधार बना कर उर्दू तर्जुमे करने से क़ौम में गुमराही फैलने का अन्देशा कोई गलत नहीं है।

यह बात अपनी जगह दुरूस्त है कि गीता के बहुत से श्लोकों में वही बात कही गई जो इस्लामी अ़क़ायद में शामिल हैं मगर अफ़सोस है कि पंडितों और आचार्यों ने अपने तर्जुमों में अपनी आस्थाओं को दाखिल करके गीता की तालीमात पर कुफ्र व शिर्क का पर्दा डाल दिया है। गीता के बारे में एक मान्यता यह है कि "इसमें सभी वेदों का सार प्रस्तुत किया गया है" (गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता अनुवाद में गीता जी की महिमा बयान करते हुए यह बात कही गई है क्योंकि वेदों को ईशवाणी माना जाता है तो स्पष्ट हुआ कि गीता के उपदेश ईशवाणी हुए। जो कि श्रीकृष्ण जी की ज़बान से अदा कराये गये।

इस हालत में श्री कृष्ण की हैसियत मुमकिनात के दायरे में रहते हुए एक नबी की होती और उन का किरदार वह न होता जो देवमालाई कथाओं में बयान हुआ है लिहाज़ा श्री कृष्ण की शख़सियत पर तहक़ीक़ करने की ज़िम्मेदारी भी हम मुसलमानों पर आयद होती है ताकि हक़ीकत समाने आ सके। इस विषय पर खुली बहस होना चाहिए थी, मगर हम मुसलमानों ने आफ़ियत इसी में समझी कि सैक्यूलरिज़्म का लबादा ओढ़ कर हर ग़लत बात को कुबूल करते चलें। इस सूरते हाल के लिए हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी कम नहीं हैं हमने सैकड़ों साल से इस मुल्क में रहने के बावजूद कभी संजीदगी से इस मुल्क की ज़बान और इस मज़हब की किताबों का मुताअला उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जितना इस मुल्क की अज़मत व बड़ाई का तक़ाज़ा था हम मुसलमानों ने क़ुरआन की रोशनी में इस क़ौम की "ईश ग्रंथ" मानी जाने वाली किताबों और ईशदूत मानी जाने वाली शखसियतों को मुमकिनात के दायरे में ला कर उन पर ग़ौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं समझी जिस की वजह से कुफ्र व शिर्क को पैर पसारने का मौक़ा बिला रोकटोक मिलता रहा। अगर हमने उन के ग्रंथों में पाई जाने वाली हक़ीक़ी रूह को कुरआन की रोशनी में साफ़ और आयां करके उनके सामने पेश किया होता तो शिर्क व कुफ्र को ब आसानी पैर फैलाने का मौक़ा न मिला होता। हक़ीक़त यह है कि हमने दावत के क़ुरआनी उसूल को ठुकरा कर सख़्त ग़लती की है जिसमें कहा गया है।

"कहो कि ऐ ईश ग्रंथ धारको, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, वह यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी को साझी न ठहरायें और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना खुदा न बना ले।" (3:64)

बात अधूरी रहेगी और दिलों में पैदा हुई प्यास न बुझेगी अगर गीता के कुछ श्लोक यहां पेश न किए

—:एक पाठक की चिट्ठी का उत्तर:—

—इदारा

ए0जे0 खान साहब! सलाम मस्नून, आप की दो चिट्ठियाँ एक साथ मिलीं, आपने अप्रैल अंक में मेरे छपे लेख "शम्सी व क़मरी महीने" की प्रशंसा की, धन्यवाद! आप ने अपने पसंदीदा अशआ़र भी लिखे हैं जैसे—

"लाख कपड़ों में छुपाले खुद को कोई
लहजा इन्सां की अवक़ात बता देता है
मैं तो सिर्फ पेड़ लगा सकता हूँ
फल तो उसकी रहमतों से मिलते हैं"

आप एक स्कूल के प्रबन्धक हैं, पाँच सौ बच्चों की तरबियत करते हैं आपने उनके सम्बोधन में जो बातें कहीं वह बहुत ही लाभदायक हैं जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, "लक्ष्य प्राप्त करने में किसी की आलोचना की प्रवाह न करनी चाहिए, भले काम में जितना सहयोग संभव हो कर गुजरना चाहिए आदि। आपके सम्बोधन से बच्चों को बहुत लाभ होगा। बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार आपके उदाहरण भी बहुत अच्छे हैं।

परामर्शः आप बच्चों को ईश—प्रेम तथा ईश—भय की शिक्षा भी दिया करें, मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक विश्वास तथा नमाज़ की शिक्षा अवश्य दें।

❖❖❖

जायें जिससे कि हक़ीक़त वाजेह हो सके लिहाज़ा नमूने के लिए यहां केवल दो श्लोक पेश किए जा रहे हैं।

1. अध्याय 13 से श्लोक 13-14 :- वह सब ओर से हाथ पैर वाला (यानि हर काम को करने में समर्थ) सब ओर से नेत्र वाला (यानि सब कुछ देखने में समर्थ) सब ओर मुख एवं सिर वाला (यानि पूर्ण ज्ञान वाला) और सब ओर से सुन्ने वाला (यानि हर एक की पुकार सुनने वाला) और वह प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है।

उसमें सभी इन्द्रियों के गुण मौजूद हैं परन्तु वह पूर्णतः इन्द्रियों से रहित है (यानि इंसानों की तरह वह हाथ पैर नाक कान वाला नहीं है) वह अपनी योग माया से (यानि क़ुदरत से) सब का पालन पोषण करने वाला है।

2. अध्याय 1 से श्लोक 10:- उस आधिष्ठाता (रब्बुलआलमीन) के हेतुनानन कौन्तेय (कुन फ़यकून) की क्रिया से यह पूरी चल अचल सृष्टि (कायनात) उत्पन्न हुई है और उसी के आदेशानुसार यह जगत दो बार परिवर्तित होता है (अर्थात प्रलय के बाद इसकी दोबारा रचना होगी)।

इस तरह के अनेक नमूने जो गीता में बिखरे हुए है मगर कुरआन की रोशनी में उन्हें थोड़ा साफ़ करके पेश करने की ज़रूरत है।

मुझे विश्वास है कि मरयम सिद्दीक़ी इस्लामी विश्वास के ज्ञान में भी निपुण होंगी कि यह मुस्लिम अथवा मुस्लिमा के लिए अति अनिवार्य है।

❖❖❖

بسم اللہ الرحمن الرحیم

उर्दू सीखिये

—इदारा

उर्दू शब्दों के शोशों को पहचान कर सामने लिखी हिन्दी की मदद से उर्दू वाक्य पढ़ें।

ग़रीब किसान की मदद करने से	غریب کسان کی مدد کرنے سے
वकील की शुहरत हुई।	وکیل کی شہرت ہوئی
किसी की निस्बत बुरा गुमान	کسی کی نسبت بُرا گمان
करना भी एक गुनाह है।	کرنا بھی ایک گناہ ہے
अच्छी सुहबत में बैठो	اچھی صحبت میں بیٹھو
तो आदत दुरुस्त हो।	تو عادت درست ہو
एक बहादुर सिपाही तलवार और	ایک بہادر سپاہی تلوار اور
बन्दूक ले कर मैदान में गया।	بندوق لے کر میدان میں گیا
उस बीमार ने परहेज़ न करने से	اس بیمار نے پرہیز نہ کرنے سے
बड़ा नुक़सान उठाया।	بڑا نقصان اٹھایا
मदरसे के नज़दीक	مدرسہ کے نزدیک
थोड़े फासिले पर तालाब है।	تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے
ज़माना हमेशा एक सा नहीं रहता।	زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا
सरकार के ख़ज़ाने में	سرکار کے خزانہ میں
मुल्क का महसूल जमा होता है।	ملک کا محصول جمع ہوتا ہے
उसको पाल्की में सवार होने का	اس کو پالکی میں سوار ہونے کا
मक़दूर नहीं है।	مقدور نہیں ہے
अदालत ने मुक़द्मे के फैसले	عدالت نے مقدمہ کے فیصلہ
की तारीख़ मुक़र्रर की।	کی تاریخ مقرر کی